[2022] 19 एस. सी. आर 583

प्रदीप कुमार और एक और

वी.

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य

(सिविल अपील सं। 8775-8776 2016 का)

फरवरी 07,2022

[एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और,

बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: एसएस। 4 , 78 , 82 – किसान विकास

पात्रा नियम, 1988 आरआर। 14 , 15 , 19 सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959। 12 - किसान विकास पत्र-प्रमाणपत्र का निर्वहन

—

वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अपीलकर्ताओं ने किसान विकास को खरीदा।

पत्र-विभिन्न डाकघरों से संयुक्त नामों में के. वी. पी., परिपक्वता पर संयुक्त अंकित मूल्य के रु. 32.60 लाख-हालाँकि, के. वी. पी. को कथित रूप से एक सेवा एजेंट द्वारा भुनाया गया था

परिपक्वता तिथि से पहले एक अलग डाकघर में अपीलार्थी

निर्धारित/लॉक-इन अवधि के बाद कम मूल्य-रु। 25,54,000 / - उप डाकपाल, डाकघर द्वारा भुगतान किया गया-उत्तरदाता सं। 4 सेवा अभिकर्ता को नकद में, जिसने अपीलकर्ताओं को धोखा दिया और उत्तरदाताओं की ओर से कुछ लापरवाही स्वीकार करते हुए पूरी राशि-अपीलकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता शिकायत-एन. सी. डी. आर. सी. को जेब में डाल दिया।

भुगतान करने में, शिकायत को खारिज कर दिया उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्होंने आरआर के अनुसार काम किया था। 14

और 1988 के नियमों का 15, क्योंकि नकदीकरण के समय कोई नियम नहीं था कि केवीपी को चेक द्वारा भुगतान किया जाना था और नकद में नकद नहीं किया जा सकता था-हालाँकि, सेवा एजेंट को रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। 25,54,000 / - 9 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के साथ-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः डाकघर/बैंक को उसके कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है-उत्तरदाताओं को उनके रोजगार के दौरान उप डाकपाल के कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा-भुगतान

एस के वैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया गया था। 10 और इस प्रकार,

खंड (ग) से खंड (स) के तहत कोई वैध निर्वहन नहीं है। 82 – इसके अलावा, सेवा अभिकर्ता 'धारक' नहीं होने के कारण, उसे भुगतान एक वैध निर्वहन नहीं है। एस. 78 आर. डब्ल्यू एस. 8 - उत्तरदाताओं ने टाल दिया होगा दायित्व और वैध निर्वहन का दावा किया यदि उन्होंने पहचान पर्ची के साथ केवीपी को स्वीकार किया था या यदि उन्होंने क्रॉस चेक द्वारा भुगतान किया था, तो इस मामले में, उन्होंने इस शर्त को पूरा किया होगा कि उन्होंने सद्भावना से भुगतान किया था और कोई लापरवाही नहीं थी,

खंड (ग) से एस की आवश्यकता। 82 आरडब्ल्यू एस। 10 - उत्तरदाता सं। 1 4 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से परिपक्वता मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

जिस तारीख को के. वी. पी. को नकदीकरण के लिए डाकघर में प्रस्तुत किया गया था, उस तारीख तक के. वी. पी.-साथ ही अपीलार्थी भी रुपये के मुआवजे के हकदार थे।

1,00,000 / - , लागत भी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

उत्तरदाताओं के खिलाफ यह मानते हुए कि उन्होंने तदनुसार कार्य किया था 1988 के नियमों के नियम 14 और 15 के साथ। नियम 19, भुगतान की आवश्यकता

चेक द्वारा जब निर्वहन मूल्य रुपये से अधिक हो। 20,000 / - , यह लागू हुआ और 28-29 अगस्त 2001 से प्रभावी है, जबकि

वर्तमान मामले में, केवीपी को पहले के एक बिंदु पर भुनाया गया था

केवीपी के पीछे और उसके बाद केवीपी दिए गए किसी अज्ञात एजेंट के लिए। अपीलकर्ताओं ने ऐसा करने के बाद खुली आँखों से और अपने जोखिम और जोखिम पर काम किया। [पैरा 9] [592-ई-एफ]

1.2 डाकघर द्वारा जारी के. वी. पी. एक वचन पत्र है।

परक्राम्य लिखतों की धारा 4 द्वारा परिभाषित लिखत

एक्ट करें। एन. आई. अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि एक परक्राम्य लिखत या तो आदेश देने वाले या वाहक को देय हो सकती है। धारा 15 और 16

एन. आई. अधिनियम 'इंडोर्समेंट', 'इंडोर्से', 'इंडोर्सर' और

' खाली 'और' पूर्ण 'में संकेत। [पैरा 12] [593-सी-डी; 594-बी]

1.3 धारा 8 और 78 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, यह इस प्रकार है कि उपकरण के कब्जे वाले व्यक्ति को किया गया भुगतान,

लेकिन उस पर देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार नहीं है

उसका नाम, एक वैध निर्वहन नहीं है। [पैरा 15] [595-जी]

1.4 धारा 9 के अनुसार, 'नियत समय में धारक' वह व्यक्ति है जो विचार के लिए साधन का स्वामी बन गया है। यदि किसी वाहक को देय है या यदि आदेश के लिए देय है, तो उल्लिखित व्यक्ति, अर्थात प्राप्तकर्ता, या उसका अधिग्राही बन जाता है।

नियत समय में धारक का अर्थ है मूल धारक या हस्तांतरणकर्ता।

सद्भावना से, जिसने परक्राम्य प्रदीप कुमार और एक अन्य V का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

विचार के लिए साधन, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना कि उस व्यक्ति की उपाधि में कोई दोष था जिससे उसने उपाधि प्राप्त की है। हस्तांतरण के मामले में बातचीत परक्राम्य लिखत में उल्लिखित राशि के देय होने से पहले होनी चाहिए। धारा 118 के खंड (छ) में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक किसी परक्राम्य लिखत के 'धारक' को 'नियत समय में धारक' माना जाता है। लेकिन परंतुक इस धारणा को योग्य बनाता है, जहां साधन किया गया है इसके वैध स्वामी या किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से इसकी कानूनी हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त किया गया है या उससे प्राप्त किया गया है

अपराध या धोखाधड़ी या गैरकानूनी विचार के माध्यम से इसका निर्माता या स्वीकारकर्ता। ऐसे मामलों में यह साबित करने का भार कि 'धारक' एक 'नियत समय में धारक' है, व्यक्ति पर निर्भर करता है।

ऐसा होने का दावा करते हैं। [पैरा 16] [596-सी-एफ] 1.5 जब भुगतान साधन की स्पष्ट अवधि के अनुसार सद्भावना से और किसी की लापरवाही के बिना किया जाता है।

जो व्यक्ति इसके कब्जे में है, उसे नियत समय पर भुगतान किया जाता है। धारा 10 में यह आवश्यकता है कि भुगतान दोनों में होना चाहिए

सद्भावना और लापरवाही के बिना संचयी है। इस प्रकार, केवल सद्भावना ही पर्याप्त नहीं है। नतीजतन, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (22), जो 'सद्भावना' को ईमानदारी से किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करती है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि किया गया भुगतान एन. आई. अधिनियम के तहत 'नियत समय में भुगतान' था। भुगतान का कार्य सद्भावना से और लापरवाही के बिना किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि उन परिस्थितियों की जांच से होती है जिनमें भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ववर्ती और वर्तमान परिस्थितियों में यह विश्वास करने के लिए एक उचित आधार नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वह उल्लिखित राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यद्यपि परिस्थितियों को कम करना उचित या व्यवहार्य नहीं होगा, यद्यपि उपकरण का मूल्य, अन्य तथ्य जो भुगतान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति की विश्वसनीयता और पहचान के बारे में संदेह पैदा करेंगे और

भुगतान करने वाले के दिमाग में साधन की वास्तविकता प्रासंगिक विचार हैं। [पैरा 17] [597-बी-ई]

1.6 धारा 118 के खंड (छ) के तहत अनुमान लागू नहीं होगा क्योंकि सेवा प्रदाता अप्रवासी नहीं है और दस्तावेज़ अपीलार्थियों के नाम पर था। इसके अलावा, सेवा [2022] 19 एस. सी. आर.

प्रदाता 'नियत समय में धारक' नहीं था, जैसा कि किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से उपकरण का कब्जा प्राप्त किया गया था। हालांकि, धारा 78 'धारक' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है न कि 'नियत समय में धारक'। एन. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत परिभाषित सेवा प्रदाता 'धारक' नहीं था। वह अपने नाम पर देय राशि के लिखत के निर्माता, स्वीकारकर्ता या प्रवर्तक पर मुकदमा करने की हकदार नहीं थी। आगे, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, मुख्य रूप से हैं

एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 82 के खंड (सी) के अनुप्रयोग पर निर्णय की भविष्यवाणी करना क्योंकि के. वाई. पी. वाहक उपकरण थे। प्रत्यर्थी एन. आई. अधिनियम की धारा 82 (सी) के तहत यह दर्शाकर आरोपमुक्त करने का दावा कर सकता है कि उन्होंने धारा 10 की आवश्यकताओं का पालन किया था, यानी उन्होंने सद्भावना और लापरवाही के बिना काम किया था [पैरा 22] [602-ए-डी]

1.7 यह उत्तरदाताओं का रुख प्रतीत होता है, हालांकि विशेष रूप से नहीं कहा गया और तर्क दिया गया कि केवीपी वाहक थे

यंत्र। उत्तरदाताओं का यह रुख आंशिक रूप से सही है के. वी. पी. 1988 के नियमों के अनुसार भुनाने योग्य हैं। के. वी. पी. वाहक उपकरण हैं जिनके लिए भौतिक धारक और उपकरण के प्रस्तुतकर्ता को भुगतान करने से पहले शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

नकदीकरण, एक पहलू जिसे हम विस्तार से बताएँगे। उत्तरदाता शर्तों के बिना के. वी. पी. को सम्मानित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

निर्दिष्ट संतुष्ट हैं। हालांकि, एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि के. वी. पी. वाहक उपकरण हैं, तो निर्माता, यानी उत्तरदाताओं को एन. आई. अधिनियम की धारा 82 के खंड (सी) के संदर्भ में भुगतान करने पर छुट्टी दे दी जाएगी, जो कि अधिनियम की धारा 10 द्वारा परिभाषित 'नियत समय में किया गया भुगतान' है। स्पष्टता के लिए, यदि के. वी. पी. को आदेश के लिए देय माना जाता है, तो निर्माता, यानी उत्तरदाताओं को दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

एन. आई. अधिनियम की धारा 78 के तहत जब वे 'धारक' को भुगतान करते हैं, जिसका अर्थ है अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक व्यक्ति जो साधन के कब्जे का हकदार है और वह भी हकदार है

उपकरण के निर्माता से राशि की वसूली के लिए मुकदमा करें। केवीपी के निर्माता के रूप में उत्तरदाताओं ने धारा 78 के संदर्भ में दायित्व का निर्वहन नहीं किया है क्योंकि आर को भुगतान नहीं किया गया था

केवीपी के 'धारक'। आर अपने नाम पर देय राशि की वसूली के लिए लिखत के निर्माता, स्वीकारकर्ता या प्रवर्तक पर मुकदमा करने का हकदार नहीं है। के. वी. पी. को आर. [पैरा 28] [604-एफ-जी; 605-ए-डी] प्रदीप कुमार और एक और वी. के पक्ष में नहीं माना गया था।

नकदीकरण। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवीपी सरल वाहक उपकरण हैं जो किसी को भी भुगतान करने योग्य हैं जो इसे नकदीकरण और निर्वहन के लिए प्रस्तुत करते हैं। [पैरा 29] [606-बी-सी] 1.9 रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि डाकघर के प्रभारी अधिकारी के प्रस्तुत करने पर संतुष्ट थे

वहाँ तक। इस प्रकार, 1988 के नियमों के नियम 9 और 11 का उल्लंघन हुआ। [पैरा 33] [612-सी] 1.10 एन. सी. डी. आर. सी. ने यह अभिनिर्धारित करने में कठोरता दिखाई थी कि अपीलार्थी चुप थे और इसलिए लापरवाही के दोषी थे। यह निष्कर्ष इस बात को नजरअंदाज करता है कि अगर कोई काम, यानी के. वी. पी. का हस्तांतरण होता है तो कोई भी किसी अजनबी या एजेंट की सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहेगा।

प्रमाणपत्रों को अन्यथा आसानी से संभाला और किया जा सकता था। इसके अलावा, कोई भी किसी अजनबी से पैसे नहीं खोना चाहेगा। अनिवार्य रूप से, अपीलार्थी आर के संपर्क में रहे थे, लेकिन उन्हें यह धारणा दी गई थी कि अभ्यास जटिल है और इसमें समय लगेगा। इसके अलावा उन्हें विश्वास था कि डाकघर उनके हितों का ध्यान रखेगा, सद्भावना से कार्य करेगा और लापरवाही नहीं करेगा। [पैरा 35] [615-जी-एच; 616-ए]

1.11 भुगतान एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के वैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करते हुए किया गया था और इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 82 के खंड (सी) के तहत कोई वैध निर्वहन नहीं है। इसके अलावा, आर एक 'धारक' नहीं होने के कारण, उसे भुगतान एन. आई. अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 78 के तहत एक वैध निर्वहन नहीं है। उत्तरदाता दायित्व से बचते और वैध निर्वहन का दावा करते यदि उन्होंने पहचान पर्ची के साथ केवीपी को स्वीकार किया होता या यदि उन्होंने क्रॉस चेक द्वारा भुगतान किया होता, तो इस मामले में वे इस शर्त को पूरा करते कि उन्होंने भुगतान किया था। सद्भावना और कोई लापरवाही नहीं थी, एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 82 के खंड (सी) की आवश्यकता। [पैरा 36] [616

1.12 प्रत्यर्थी नं. 4 वह कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि डाकघर का एक अधिकारी और कर्मचारी है। डाकघर, एक सार के रूप में

इकाई, अपने कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करती है। कर्मचारी, व्यक्तियों के रूप में, बेईमान होने और धोखाधड़ी या खुद को गलत करने या दूसरों के साथ मिलीभगत करने में सक्षम होते हैं। बैंक/डाकघर के कर्मचारियों के ऐसे कार्य, जब उनके रोजगार के दौरान किए जाते हैं, तो बैंक/डाकघर पर उस व्यक्ति के कहने पर बाध्यकारी होते हैं जो बैंक/डाकघर के अधिकारियों की धोखाधड़ी और गलत कृत्यों से दंडित होता है। बैंक/डाकघर के कर्मचारियों के इस तरह के कार्य उनके रोजगार के दायरे में होने से अपीलार्थियों को चोट के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का अधिकार, क्योंकि डाकघर के खिलाफ यह उनका एकमात्र उपाय है। इस प्रकार, डाकघर, एक बैंक की तरह, धोखाधड़ी आदि के कारण हुए नुकसान के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हकदार है, लेकिन यह उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा यदि इसमें शामिल कर्मचारी धोखाधड़ी आदि में कार्य कर रहा था।

उनके रोजगार और कर्तव्यों का पाठ्यक्रम। धोखाधड़ी की गई थी

एम. के. सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 4, द्वारा अपनी नियुक्ति के दौरान और उसके दौरान। में दर्ज निष्कर्षों से यह स्पष्ट है

विभागीय कार्यवाही। [पैरा 37,39] [616-डी-जी; 617-सी]

1.13 उत्तरदाताओं को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि वे एम. के. सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, और साथ ही अपीलार्थियों के किसी भी दायित्व और दावों से खुद को बचाना चाहते थे। इस दुविधा का सामना करते हुए, उत्तरदाताओं ने आधे दिल से काम किया और एम. के. सिंह के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में कार्रवाई की, जबकि वे अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करना चाहते थे और अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के खिलाफ अपना बचाव करना चाहते थे। जाँच रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्ष, जो बर्खास्तगी के आदेश का आधार बने, जिसे बाद में अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित कर दिया गया था, हमारी राय में, सभी केवीपी के भुनाने पर समान रूप से लागू होंगे।

विभागीय जांच का विषय बनने वाले मामले और केवीपी को भुनाने के अन्य मामलों के बीच कोई वैध अंतर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, डाकघर/बैंक को अपने कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

तदनुसार, उत्तरदाताओं को कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा एम. के. सिंह अपनी नौकरी के दौरान।

[पैरा 40] [618 बी-ई] प्रदीप कुमार और एक और वी। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य

1.14 एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित विवादित आदेश को खारिज करते हुए

अपीलार्थी द्वारा दायर उपभोक्ता मामले को दरकिनार कर दिया जाता है। आर के खिलाफ आदेश और निर्देश अबाधित रहते हैं। उपभोक्ता मामले की अनुमति निम्नलिखित निर्देश जारी करके दी जाती है कि प्रतिवादी

नं. 1 4 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग के. वी. पी. के परिपक्वता मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस तारीख को के. वी. पी. को प्रस्तुत किया गया था।

नकदीकरण के लिए डाकघर, उक्त तिथि से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ; कि अपीलार्थी रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे।

और रुपये की लागत। 10,000 / - ; और यह कि निर्देशित राशि का भुगतान तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा

इस निर्णय की घोषणा। [पैरा 41] [618-ई-एच]

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम औद्योगिक श्रृंखला की चिंता

(1990) 1 एससीसी 484: [1989] 2 पूरक। एससीआर 27; केरल

राज्य सहकारी विपणन संघ बनाम। स्टेट बैंक भारत और अन्य (2004) 2 एस. सी. सी. 425: [2004] 2 एससीआर

1 ; पोनप्पा मूथन सन्स, पालघाट बनाम। कैथोलिक सीरियाई

बैंक लिमिटेड और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 113: [1990] 1

निगम और अन्य (1987) 2 एस. सी. सी. 666: [1987] 2 एस. सी. आर. 1138; ताई हिंग कॉटन मिल लिमिटेड बनाम लियू चोंग हिंग

बैंक लिमिटेड और अन्य (1985) 2 सभी ई. आर. 947; स्टेट बैंक

भारत का (इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का उत्तराधिकारी) v. श्रीमती. श्यामा देवी (1978) 3 एससीसी 399: [1978] 3 एससीआर

1009 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1989] 2 पूरक। एससीआर 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2004] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1990] 1 पूरक। एससीआर 542

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

[1987] 2 एससीआर 1138

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

[1978] 3 एससीआर 1009

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.8775

8776 2016 से।

राष्ट्रीय संविधान के 15.05.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. पी. संख्या 148 [2022] 19 एस. सी. आर. में नई दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2001 का आदेश और 2001 के ओपी नंबर 148 में 2015 के आरए नंबर 136 में 10.07.2015 दिनांकित आदेश। आदित्य के. चौधरी, गुरमेहर उआन सिंह, वैभव प्रसाद देव, सौरव कुमार, सुश्री नमिता चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., नलिन कोहली, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, राजन के. चौरसिया, जितेंद्र महापात्रा, ए. के. यादव, केदार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजीव खन्ना, जे।

प्रदीप कुमार और राज रानी द्वारा पसंद की गई उपरोक्त दीवानी अपीलें (इसके बाद जहां भी आवश्यक हो)

अपीलकर्ता) ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली, 'एन. सी. डी. आर. सी.' द्वारा 15 मई 2015 को पारित उस फैसले पर हमला किया, जिसमें 2001 के उपभोक्ता मामला संख्या 148 के रूप में पोस्ट मास्टर जनरल, यू. पी. सर्कल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ डाक अधीक्षक, लखनऊ डिवीजन, पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर चौक, लखनऊ और एम. के. सिंह, उप-डाक मास्टर, डाकघर, याहियागंज, लखनऊ (इसके बाद जहां भी सामूहिक रूप से 'उत्तरदाताओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के खिलाफ दर्ज उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया है, हालांकि रुखसाना के खिलाफ अनुमति दी गई है और आदेश दिया गया है। 2. अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1995 और 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विभिन्न डाकघरों से विभिन्न मूल्यवर्गों और परिपक्वता की अलग-अलग तिथियों के साथ संयुक्त नामों में किसान विकास पत्र, 'के. वी. पी.' खरीदे थे। परिपक्वता पर संयुक्त अंकित मूल्य रु। हालांकि, के. वी. पी. को डाकघरों में परिपक्वता तिथि से पहले निर्धारित/लॉक-इन अवधि के बाद कम मूल्य पर भुनाया जा सकता था।

3. अपीलार्थियों के अनुसार, फरवरी 2000 के अंतिम सप्ताह में, उन्होंने पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस चौक, लखनऊ से संपर्क किया था। केवीपी को चौक डाकघर, लखनऊ में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ। अपीलार्थियों को चौक डाकघर में आवेदन करने के लिए कहा गया था। उन्हें सूचित किया गया कि हस्तांतरण अनुरोध की अनुमति केवीपी के उचित सत्यापन और पहचान/हस्ताक्षर के बाद दी जाएगी।

जारीकर्ता डाकघर के साथ अभिलेख से स्थानांतरण आवेदन। इस प्रक्रिया के बारे में उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि समय लेने वाली और बोझिल होने के कारण डाकघर में कई बार जाने की आवश्यकता होगी। द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस चौक, लखनऊ ने सिफारिश की थी कि वे प्रदीप कुमार और एक और बनाम सेवाएं लें।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

रुखसाना, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नियुक्त एक अभिकर्ता और

डाकघर से जुड़ा हुआ। अपीलार्थियों के अनुसार, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया गया था कि रुखसाना जैसे एजेंट की मदद के बिना स्थानांतरण संभव नहीं होगा और वह उनके हितों का ध्यान रखेगी। रुखसाना ने बातचीत के दौरान अपीलकर्ताओं को सूचित किया था कि वह पंद्रह वर्षों से डाकघर में काम कर रही हैं और उससे जुड़ी हुई हैं, और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होने से बिना किसी कठिनाई के स्थानांतरण हो जाएगा। आईडी1 पर रुखसाना अपीलार्थियों के आवास पर आई और निर्देश के अनुसार, अपीलार्थियों ने पीछे की ओर मूल केवीपी पर हस्ताक्षर किए और उन्हें रुखसाना को सौंप दिया। उन्होंने मासिक आय योजना (एम. आई. एस.) की पासबुक भी ली जिसमें कहा गया था कि हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है। रुखसाना ने एक रसीद निष्पादित की और अपीलार्थियों को केवीपी की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए दी।

4. रुखसाना ने अपने दम पर अपीलकर्ताओं को जवाब नहीं दिया और जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने उन्हें स्थानांतरण का आश्वासन दिया। इस बीच, अपीलार्थी नंबर 1, यानी प्रदीप कुमार को बिहार के मोतिहारी में आधिकारिक ड्यूटी में शामिल होने के लिए लखनऊ छोड़ना पड़ा। दूसरी अपीलकर्ता राज रानी रुखसाना के संपर्क में रहीं, जिन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया में समय लग रहा है।

5. जून 2000 में, अपीलकर्ताओं को पता चला कि रुखसाना ने कई निवेशकों को धोखा दिया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने पूछताछ की और पाया कि केवीपी ने

एम. के. सिंह, उप-पोस्ट मास्टर, डाकघर, याहियागंज की भागीदारी, हमारे समक्ष चौथा प्रत्यर्थी, जिसने नियमों के विपरीत, परिपक्वता आय का भुगतान नकद में किया था, न कि अपीलार्थियों के नाम पर चेक द्वारा। इस तर्क को रेखांकित करने वाले किसान विकास पत्र नियम, 1988 और 1988 हैं।

संक्षेप में 'नियम', और डाकघर बचत बैंक नियमावली (खंड II), जिसका हम बाद में उल्लेख और वर्णन करेंगे।

6. अपीलकर्ताओं ने कई अभ्यावेदन दिए, जिनका उत्तरदाताओं ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने एनसीडीआरसी के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपरोक्त शिकायत दर्ज की, जिसमें प्रार्थना की गई कि

प्रत्यर्थियों और रुखसाना को अपीलार्थियों को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 25,54,000 / - 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। अतिरिक्त प्रार्थना

रुपये के मुआवजे के लिए था। 1,00,000 / - मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के साथ-साथ प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में Rs.10,000/के कारण।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. लिखित बयान में उत्तरदाताओं ने विरोध किया

शिकायत करें। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया था कि अपीलकर्ता, निर्वहन मूल्य की प्राप्ति के प्रतीक के. वी. पी. एस. पर हस्ताक्षर करने के बाद, शिकायत नहीं कर सकते।

रुखसाना डाकघर द्वारा नियुक्त एजेंट नहीं थीं। अनुबंध और समझौता अपीलार्थियों और रुखसाना के बीच था, और धोखाधड़ी रुखसाना द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में की गई थी, उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। संदर्भ दिया गया था कि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश पत्र सं। एफ 3/37/91-एन. एस. II दिनांक 8 नवंबर 1993, जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे। एम. के. सिंह, उप-पोस्ट मास्टर, डाकघर, याहियागंज, लखनऊ ने एक अलग लिखित बयान दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि शिकायत विचारणीय नहीं थी क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति को राशि का भुगतान किया था और एक वैध निर्वहन था। उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया था। एम. के. सिंह ने अपने खिलाफ पहले से ही लंबित एक आपराधिक मामले का उल्लेख किया और कहा कि उपभोक्ता की शिकायत विचारणीय नहीं थी।

8. रुखसाना, उपस्थिति में प्रवेश करने के बाद, अपना बचाव दायर नहीं किया। उसे एक तरफ से आगे बढ़ा दिया गया था। रुखसाना पर मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात आदि के आरोपों पर।

9. विवादित निर्णय में, एन. सी. डी. आर. सी. ने यह स्वीकार करते हुए कि कुछ लापरवाही के लिए उत्तरदाताओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

भुगतान, उत्तरदाताओं के खिलाफ शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने 1988 के नियमों के नियम 14 और 15 के अनुसार काम किया था। नियम 19, चेक द्वारा भुगतान की आवश्यकता है जब निर्वहन मूल्य रुपये से अधिक है। 20,000 / - , यह लागू हुआ और अगस्त 2001 से प्रभावी है, जबकि वर्तमान मामले में, केवीपी को पहले के समय में भुनाया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता सच्चे नहीं थे क्योंकि यह समझना मुश्किल था कि उन्होंने के. वी. पी. के पीछे से भुगतान पर हस्ताक्षर और स्वीकार क्यों किया था और उसके बाद के. वी. पी.

किसी अज्ञात अभिकर्ता को दिया गया। अपीलकर्ताओं ने ऐसा करने के बाद खुली आँखों से और अपने जोखिम और जोखिम पर काम किया। दावा है कि केवीपी थे बिना स्थानांतरण आवेदन के रुखसाना को सौंपना अविश्वसनीय है क्योंकि अपीलार्थी नंबर 1 एक सुशिक्षित व्यक्ति है। अपीलार्थी तीन महीने तक चुप रहे और अपने आवास से केवल 800 मीटर की दूरी पर स्थित डाकघर, याहियागंज से पूछताछ नहीं की। द.

अपीलकर्ताओं की लापरवाही के कारण, चौथे प्रतिवादी सहित उत्तरदाताओं के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया था। रुखसाना, एक सेवा प्रदाता होने के नाते, रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। 25,54,000 / - डाकघर से राशि जारी करने की तारीख से लेकर प्रदीप कुमार की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

अपीलार्थियों द्वारा प्राप्ति। रुखसाना को भी रुपये देने थे। 1,00,000 / - मुआवजे के रूप में और रु। 10,000 / - मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में। यदि अपीलकर्ता रुखसाना से देय राशि की वसूली करने में असमर्थ हैं, तो वे (

अपीलकर्ता) रुखसाना को एक एजेंट के रूप में नियुक्त करने में राज्य सरकार की चूक और आयोग के लिए मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र थे।

10. रुखसाना ने चुनाव लड़ने के लिए न तो हमारे सामने उपस्थिति दर्ज कराई है

इस अपील में न ही उसके खिलाफ शिकायत की अनुमति देने वाले फैसले को चुनौती दी गई है, जो अंतिम हो गया है।

11. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, 'एन. आई. अधिनियम' की धारा 3 1 में संक्षेप में कहा गया है कि 'बैंकर' में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो बैंकर के रूप में कार्य करता है। और कोई भी डाकघर बचत बैंक। इस धारा के संदर्भ में, डाकघर बचत बैंक एन. आई. अधिनियम के तहत एक बैंकर है।

12. डाकघर द्वारा जारी के. वी. पी. एक वचन पत्र है।

जैसा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 4 2 द्वारा परिभाषित किया गया है, क्योंकि यह निर्माता द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या उपकरण के वाहक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षरित एक बिना शर्त उपक्रम है। 3 एन. आई. की धारा 134

अधिनियम में कहा गया है कि एक परक्राम्य लिखत या तो आदेश देने वाले को या वाहक को देय हो सकती है। एक परक्राम्य लिखत आदेश के लिए देय होती है, जिसे इस प्रकार देय बताया जाता है या जिसे किसी विशेष को देय बताया जाता है।

1 3. व्याख्या-खंड। इस अधिनियम में-4 * * * * * * "बैंकर"। — 5 [" बैंकर "में कोई भी व्यक्ति जो बैंकर के रूप में कार्य करता है और कोई भी डाकघर बचत बैंक शामिल है।

24. " वचन पत्र "। - "वचन पत्र" एक लिखित साधन है (जो बैंक-नोट या मुद्रा-नोट नहीं है) जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त वचन पत्र होता है, जिसमें केवल एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या उपकरण के वाहक को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है।

3 3 वर्तमान मामले में, हमें यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या के. वी. पी. एन. आई. अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में 'विनिमय पत्र' होगा।

स्पष्टीकरण (ii)। एक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक वाहक को देय होता है जिसे इतना देय बताया जाता है या जिस पर एकमात्र या अंतिम समर्थन खाली में एक समर्थन होता है। स्पष्टीकरण (iii)। जहां एक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक, या तो मूल रूप से या समर्थन द्वारा, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश के लिए देय होने के रूप में व्यक्त किया जाता है, न कि उसे या उसके आदेश को, फिर भी यह उसे या उसके आदेश को उसके विकल्प पर देय होता है। (2) एक परक्राम्य लिखत दो या दो से अधिक प्राप्तकर्ताओं को संयुक्त रूप से देय हो सकती है, या इसे दो में से एक, या एक या कई प्राप्तकर्ताओं में से कुछ के विकल्प में देय किया जा सकता है।

व्यक्ति लेकिन इसमें हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले शब्द नहीं हैं या एक इरादे का संकेत नहीं है कि उपकरण हस्तांतरणीय नहीं होगा। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि के. वी. पी. एन. आई. अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में परक्राम्य साधन हैं। एन. आई. अधिनियम की धारा 15 और 16 'इंडोर्समेंट' को परिभाषित करती हैं,

9

परक्राम्य लिखत जब वह उसके पीछे या चेहरे पर, उसमें संलग्न कागज की पर्ची पर या इस उद्देश्य के लिए स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करता है - बातचीत। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इंडोर्सर कहा जाता है। अगर उपकरण है

इंडोर्सर द्वारा केवल अपने नाम पर हस्ताक्षरित, यह खाली में एक इंडोर्समेंट है। यदि इंडोर्सर उस व्यक्ति को भी निर्दिष्ट करता है जिसे भुगतान किया जाना है, तो इंडोर्समेंट को 'पूर्ण' कहा जाता है, और इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति है

इंडोर्से कहा जाता है।

13. एन. आई. अधिनियम की धारा 78 और 82 में लिखा हैः

" 78. किसे भुगतान किया जाना चाहिए। विषय के अधीन धारा 82, खंड (ग) के प्रावधान, देय राशि का भुगतान

वचन पत्र पर, विनिमय पत्र या चेक होना चाहिए, ताकि निर्माता या स्वीकारकर्ता को निर्वहन, के धारक को किया जाए

यंत्र "।

XX

XX

XX

82. दायित्व से निर्वहन। — निर्माता, स्वीकारकर्ता या इंडोर्सर

क्रमशः किसी परक्राम्य लिखत को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

उस पर-(क) रद्द करके। उसके धारक को जो रद्द करता है

ऐसे स्वीकारकर्ता या इंडोर्सर का नाम उसे निर्वहन करने के इरादे से,

और ऐसे धारक के तहत दावा करने वाले सभी पक्षों के लिए; (बी) रिहाई द्वारा। को

एक धारक जो अन्यथा ऐसे निर्माता, स्वीकारकर्ता को निर्वहन करता है या इंडोर्सर, और ऐसे धारक के तहत शीर्षक प्राप्त करने वाले सभी पक्षों के लिए

ऐसे निर्वहन की सूचना; (ग) भुगतान द्वारा। सभी पक्षों के लिए,

यदि साधन वाहक को देय है, या उसमें प्रवेश किया गया है

खाली, और ऐसे निर्माता, स्वीकारकर्ता या इंडोर्सर में भुगतान करता है

उस पर देय राशि का नियत समय "।

14. धारा 78 में कहा गया है कि कब भुगतान किया जाना है

' उपकरण का धारक, जिसमें उसका मान्यता प्राप्त एजेंट शामिल होगा जैसे कि एक बैंकर जो संग्रह के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, 5 निर्माता या स्वीकारकर्ता

5 मद्दाली तिरुमाला अनंत वेंकट वीरराघवस्वामी बनाम देखें। श्रीमत किलाम्बी मंगम्मा और एक अन्य, AIR 1940 मैड। 90 और रघुबीर महतो बनाम। रामसरय भगत, ए. आई. आर. 1939 Pat.347 और पृष्ठ भी। 533 द नेगोशिएबल पर भाष्यम और अडिगा

उपकरण अधिनियम, 22 वां संस्करण (2019)।

दायित्व से मुक्त किया जाता है। हालांकि, धारा 78 एनआई की धारा 82 के खंड (सी) के तहत आने वाले भुगतानों के अधीन है और उन पर लागू नहीं होती है।

एक्ट करें। धारा 82 का खंड (सी) वाहक को देय किसी लिखत पर लागू होता है या उसे खाली रखा गया है, और ऐसे मामलों में किसी परक्राम्य लिखत के निर्माता, स्वीकारकर्ता या स्वीकारकर्ता को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है जब ऐसा निर्माता, स्वीकारकर्ता या स्वीकारकर्ता उस पर देय राशि का 'नियत समय में भुगतान' करता है। अभिव्यक्ति 'धारक' और 'नियत समय में भुगतान' 'कला की शर्तें' हैं क्योंकि धारा 8 'धारक' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जबकि धारा 10 'नियत समय में भुगतान' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। धारा 78 और धारा 82 के खंड (सी) के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, यह इस प्रकार है कि दायित्व से निर्वहन के लिए अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं जब परक्राम्य लिखत वाहक को देय होती है या खाली में दर्ज की जाती है, इस मामले में भुगतान धारा 10 के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जबकि जब परक्राम्य लिखत आदेश के लिए देय होती है, तो निर्माता, स्वीकारकर्ता या समर्थनकर्ता को दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा जब लिखत के 'धारक' को भुगतान किया जाता है।

15. एन. आई. अधिनियम की धारा 8, 'धारक' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" 8. " होल्डर "। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के "धारक" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अपने नाम का हकदार है।

उस पर कब्जा करना और देय राशि प्राप्त करना या वसूल करना। उस पर पार्टियों से। जहाँ नोट, नोट या चेक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति होता है जो इस तरह के नुकसान या विनाश के समय इस प्रकार का हकदार होता है।

धारा 8 की आवश्यकताएँ दो गुना हैं और दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। एक धारक का अर्थ है एक व्यक्ति (i) अधिकार का हकदार

वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक का, और (ii) लिखत के निर्माता, स्वीकारकर्ता या प्रवर्तक पर उसके नाम पर देय राशि की वसूली के लिए मुकदमा करने का हकदार है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसके पास लिखत है, लेकिन उसे पक्षकारों से उस पर देय राशि की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है, वह 'धारक' नहीं है। धारा 8 और 78 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किया गया भुगतान, जो साधन के कब्जे में है, लेकिन अपने नाम पर देय राशि प्राप्त करने या पुनर्प्राप्त करने का हकदार नहीं है, एक वैध निर्वहन नहीं है।

6 ' वर्तमान मामले के संदर्भ में, हमें बेनामी मालिक के मुद्दे पर विवाद और मतभेद की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जो पहलू और मुद्दा कई निर्णयों का विषय रहा है, जिसमें सुब्बा नारायण वाथियार और अन्य बनाम।

रामास्वामी अय्यर (1907) 30 मैड। 88 (एफ. बी.), बाचा प्रसाद बनाम जानकी राय और अन्य, आकाशवाणी 1957 पट। 380 और भागीरथ वी। गुलाब कंवर, आकाशवाणी 1956 राज। 174. हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. इससे पहले कि हम धारा 10 का पुनरुत्पादन और उल्लेख करें, अंतर है

धारा 9 में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित एक अभिव्यक्ति 'धारक' और 'नियत समय में धारक' के बीच खींची जानी आवश्यक है:

" 9. " नियत समय पर धारक "। — " नियत समय में धारक "का अर्थ है कोई भी

व्यक्ति जो विचार के लिए एक का स्वामी बन गया

वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक यदि वाहक को देय हो, या प्राप्तकर्ता या उसका समर्थन करने वाला, यदि [आदेश के लिए देय],

इसमें उल्लिखित राशि देय हो गई, और इसके बिना यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण कि शीर्षक में कोई दोष मौजूद था

वह व्यक्ति जिससे उन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की। धारा 9 के अनुसार, 'नियत समय में धारक' वह व्यक्ति है जो

यदि किसी को देय है तो प्रतिफल साधन का स्वामी बन गया है। वाहक या यदि उल्लिखित व्यक्ति को आदेश के लिए देय है, अर्थात प्राप्तकर्ता, या उसका अधिग्राही बन जाता है। नियत समय में धारक का अर्थ है मूल

अच्छे विश्वास में धारक या हस्तांतरणकर्ता, जिसने विचार के लिए परक्राम्य लिखत का कब्जा प्राप्त कर लिया है, यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि जिस व्यक्ति से उसने उपाधि प्राप्त की है, उसके शीर्षक में कोई दोष था। हस्तांतरण के मामले में बातचीत परक्राम्य लिखत में उल्लिखित राशि के देय होने से पहले होनी चाहिए।

धारा 1188 के खंड (छ) में कहा गया है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक किसी परक्राम्य लिखत के 'धारक' को 'नियत समय में धारक' माना जाता है। लेकिन परंतुक उस धारणा को योग्य बनाता है, जहां लिखत अपने वैध मालिक या किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से उसकी कानूनी हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई है या इसे बनाने वाले या स्वीकार करने वाले से किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से या गैरकानूनी रूप से प्राप्त की गई है। ऐसे मामलों में यह साबित करने का भार कि 'धारक' एक 'नियत समय में धारक' है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो ऐसा होने का दावा करता है।

17. यह हमें एन. आई. अधिनियम की धारा 10 पर लाता है, जो परिभाषित करता है

अभिव्यक्ति 'नियत समय में भुगतान' और निम्नानुसार है:

7 उप. 1919 के अधिनियम 8 द्वारा। 2 , "किसी प्राप्तकर्ता को देय या उसके आदेश के लिए, '8" 118. परक्राम्य उपकरणों के बारे में अनुमान। जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगे:

XX

XX

XX "(g) वह धारक नियत समय में धारक हैः - कि किसी परक्राम्य लिखत का धारक नियत समय में धारक हैः बशर्ते कि जहां लिखत अपने वैध स्वामी से, या उसकी वैध अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से, किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई हो, या उसके निर्माता या स्वीकारकर्ता से किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई हो, या गैरकानूनी रूप से विचार के लिए, यह साबित करने का भार उस पर है कि धारक नियत समय पर धारक है। प्रदीप कुमार और एक अन्य बनाम।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

" " " " नियत समय पर भुगतान का अर्थ है -

अच्छे विश्वास में और बिना वाद्ययंत्र का स्पष्ट भाव

ऐसी परिस्थितियाँ जिनके लिए कोई उचित आधार नहीं है यह मानते हुए कि वह राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है

उसमें उल्लेख किया गया है।

जब भुगतान अच्छे विश्वास में और किसी व्यक्ति की लापरवाही के बिना साधन के स्पष्ट अवधि के अनुसार किया जाता है।

इसके कब्जे में, यह नियत समय में भुगतान है। धारा 10 में यह आवश्यकता कि भुगतान सद्भावना और लापरवाही दोनों में होना चाहिए, संचयी है। इस प्रकार, केवल सद्भावना ही पर्याप्त नहीं है। नतीजतन, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (22), जो 'सद्भावना' को ईमानदारी से किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करती है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि किया गया भुगतान एन. आई. अधिनियम के तहत 'नियत समय में भुगतान' था। भुगतान का कार्य सद्भावना से और लापरवाही के बिना किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि उन परिस्थितियों की जांच से होती है जिनमें भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ववर्ती और वर्तमान परिस्थितियों में यह विश्वास करने के लिए एक उचित आधार नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है वह उल्लिखित राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यद्यपि परिस्थितियों को कम करना उचित या व्यवहार्य नहीं होगा, यद्यपि उपकरण का मूल्य, अन्य तथ्य जो व्यक्ति की विश्वसनीयता और पहचान के बारे में संदेह पैदा करेंगे।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार और भुगतानकर्ता के दिमाग में साधन की वास्तविकता प्रासंगिक विचार हैं।

18. एन. आई. की धारा 131 के तहत वैधानिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए बैंकरों द्वारा आवश्यक देखभाल के पहलू पर स्पष्टीकरण

अधिनियम इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम में पाया जाता है। औद्योगिक श्रृंखला

9 बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम/एस। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कं., (1993) 2 एस. सी. सी. 971 या 131। चेक का भुगतान प्राप्त करने वाले बैंकर की गैर-देयता। - एक बैंकर जिसने अच्छे विश्वास के साथ और बिना लापरवाही के एक ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त किया

यदि चेक का स्वामित्व दोषपूर्ण साबित होता है, तो केवल ऐसा भुगतान प्राप्त करने के कारण चेक के वास्तविक मालिक के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। स्पष्टीकरण I-एक बैंकर इस धारा के अर्थ के भीतर एक ग्राहक के लिए एक क्रॉस चेक का भुगतान प्राप्त करता है, इसके बावजूद कि वह भुगतान प्राप्त करने से पहले अपने ग्राहक के खाते में चेक की राशि जमा करता है।

स्पष्टीकरण II। - अपने पास रखे गए कटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करने वाले बैंकर का यह कर्तव्य होगा कि वह काटे जाने वाले चेक की प्रथम दृष्टया वास्तविकता और किसी भी धोखाधड़ी, जालसाजी या छेड़छाड़ को सत्यापित करे, जिसे उचित परिश्रम और सामान्य सावधानी के साथ सत्यापित किया जा सकता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिंता, 1 1 जिसमें पहले वाले का व्यापक संदर्भ दिया गया है।

मामला कानून, इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून और अंग्रेजी निर्णय। यह तय करते समय कि बैंक लापरवाही कर रहा है, यह देखना आवश्यक है कि बैंक के नियमों या निर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं, हालांकि यह नहीं भी हो सकता है। हमेशा निर्णायक रहें। जब तक खाता नहीं खोला जाता है, तब तक बैंकर और ग्राहक संबंध नहीं बनता है, लेकिन एक बार खाता खोले जाने के बाद अनुबंध संबंध बनाया जाता है। इसके अलावा, बैंकर और ग्राहक के बीच आपसी अधिकार और दायित्व भी कानून के तहत बनाए जाते हैं। चेक के धोखाधड़ी से भुनाने के मामले में, संग्रह और भुगतान वास्तविक मालिक के प्रति बैंक के कर्तव्य को शामिल करता है, यदि ग्राहक वास्तविक मालिक नहीं है। ऐसे मामलों में, बैंक की देनदारी एन. आई. अधिनियम की धारा 131 के तहत उल्लिखित शर्तों की संतुष्टि पर सुरक्षित है और अन्यथा नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेक का दराज बैंक का ग्राहक नहीं है जबकि प्राप्तकर्ता है। नतीजतन, यदि चेक और ग्राहक के स्वामित्व के बारे में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी है, तो बैंक एन. आई. अधिनियम की धारा 131 के संरक्षण से परे हो सकता है। संदेह तब उत्पन्न हो सकता है जब राशि बहुत बड़ी हो, ग्राहक की विश्वसनीयता और पहचान आदि का पता लगाया जाए। इसके अलावा, जब उपकरण की अवधि के विपरीत संग्रह और भुगतान किया जाता है तो लापरवाही स्थापित की जा सकती है। लापरवाही तब होती है जब जनादेश की वास्तविक शर्तों पर उचित ध्यान देने में विफलता होती है। साथ ही हमें यथार्थवादी और व्यावहारिक होना चाहिए कि एन. आई. अधिनियम की धारा 131 के तहत बैंकर के संरक्षण को कम न किया जाए ताकि बैंकर की स्थिति को कमजोर बनाया जा सके। यह बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार के लिए नुकसानदेह होगा। बैंकिंग ने प्रवेश किया है और व्यापक है और इसलिए, एक समय में सावधानी एक उचित मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। उचित देखभाल के अनुरूप मानक

और सख्त दायित्व नहीं होना अनुकूल और सही परीक्षण है। बैंकों के अधिकारियों को शौकिया जासूस होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उन्हें आम तौर पर किसी व्यक्ति से आवश्यक खुफिया जानकारी के स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

उनकी स्थिति। इसलिए, संग्रह में भुगतान किए गए चेक की सूक्ष्म जांच आम तौर पर आवश्यक नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी आवश्यकता तब हो सकती है जब तथ्य संदेह करने के लिए उचित आधार बढ़ाने के लिए पर्याप्त हों कि कोई गलत काम हो सकता है।

19. एन. आई. अधिनियम की धारा 131 का स्पष्टीकरण II इसके साथ जोड़ा गया है -

6 फरवरी 2003 के प्रभाव में कहा गया है कि यह प्रत्येक बैंकर का कर्तव्य है जो एक कटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि के आधार पर भुगतान प्राप्त करता है, ताकि चेक की प्रथम दृष्टया वास्तविकता को सत्यापित किया जा सके और इसका प्रयोग किया जा सके।

1 1 11 (1990) 1 एस. सी. सी. 484 प्रदीप कुमार और एक अन्य बनाम। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

उपकरण के चेहरे पर स्पष्ट धोखाधड़ी, जालसाजी या छेड़छाड़ को सत्यापित करने के लिए उचित परिश्रम और सामान्य देखभाल। इसलिए, बैंक तभी बच सकता है जब बैंकर सद्भावना से और लापरवाही के बिना काम करे। किसी बैंकर के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 131 के तहत दोषमुक्त होने की अनिवार्य शर्त है। इसलिए, सांविधिक संरक्षण का दावा करने के लिए बैंक को सांविधिक शर्तों को पूरा करना होगा, और अदालतें दायित्व को ओवरराइड और ओवरराइड करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगी।

20. केरल राज्य सहकारी विपणन संघ बनाम में निर्णय। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य, एन. आई. अधिनियम की धारा 131 और 131 ए के संदर्भ में, जिसमें एक सामान्य नियम शामिल है।

जिस ग्राहक से संग्रहकर्ता बैंक ड्राफ्ट या चेक एकत्र करता है, उसके पास कोई स्वामित्व या दोषपूर्ण शीर्षक नहीं होने की स्थिति में संग्रहकर्ता बैंकर को वास्तविक मालिक के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, यह मानना है कि सद्भावना और लापरवाही के बिना शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और यह साबित करने की जिम्मेदारी कि बैंकर ने सद्भावना और लापरवाही के बिना काम किया था, संग्रहकर्ता बैंक पर है। लापरवाही के आरोप से बचने के लिए संग्रहकर्ता बैंकर द्वारा उपयोग की जाने वाली देखभाल का मानक बैंकरों की सामान्य प्रथा पर निर्भर करता है, जो समय-समय पर बदल सकता है, आगे बैंकिंग गतिविधियों के भारी प्रसार और कुछ दशकों पहले तय किए गए मामलों के साथ शायद इसमें अचूक मार्गदर्शन नहीं दे सकता है।

बाद में लापरवाही के प्रश्न का निर्धारण करना। एक संग्रहकर्ता बैंकर से अपेक्षित देखभाल के मानक के लिए उसे चेक को एक मिनट और सूक्ष्म जांच के अधीन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी चेक के बारे में परिस्थितियों की अवहेलना करना, जो संदेह को जन्म देता है, संग्रहकर्ता बैंकर की ओर से लापरवाही हो सकती है। इसके अलावा, सद्भावना और लापरवाही के सवाल का फैसला सच्चे मालिक के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसके प्रति बैंकर का कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है, बल्कि इन प्रावधानों द्वारा वैधानिक कर्तव्य है। यह एक ऐसी कीमत है जिसका भुगतान बैंकर क़ानून के तहत सुरक्षा की मांग करने के लिए करता है अन्यथा बैंक को सामान्य कानून के तहत अधिक व्यापक दायित्व का सामना करना पड़ेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि भुगतान करने वाले बैंकर के खिलाफ अंशदायी लापरवाही का आरोप संग्रह करने वाले बैंकर के लिए कोई बचाव प्रदान नहीं कर सकता है जिसने सद्भावना और लापरवाही के बिना राशि एकत्र नहीं की है। एन. आई. अधिनियम की धारा 131 और 131 ए के संबंध में उपरोक्त टिप्पणियों को हम उचित रूप से लागू करेंगे। एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश के संदर्भ में वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए। हालाँकि, हम स्पष्ट करेंगे कि हमने के. वी. पी. पर धारा 131 के लागू होने को नकदी के रूप में घोषित नहीं किया है।

1 2 12 (2004) 2 एससीसी 425 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यू. पोनप्पा मूथन संस, पालघाट बनाम में यह न्यायालय।

कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड और अन्य, 1 3 ने विस्तार से विचार किया है

और एन. आई. अधिनियम की धारा 118 की धारा 9,10 और खंड (जी) पर स्पष्ट किया गया। अंग्रेजी कानून में कहा गया है कि उपकरण लेने वाले को सद्भावना से कार्य करना चाहिए। जब उसे शीर्षक में दोष की कोई जानकारी नहीं होती है और वह ईमानदारी से काम करता है, चाहे वह लापरवाही करे या न करे, तो माना जाता है कि उसने नेक इरादे से काम किया है। भारतीय कानून अंग्रेजी कानून की तुलना में सख्त है और व्यक्ति को उचित परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उचित सावधानी का उपयोग किए बिना दूसरे से इस तरह की सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। "विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण" शब्दों पर विचार करते हुए जहां सद्भावना और लापरवाही का आरोप लगाया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (पृष्ठ 171 पर 15 वां संस्करण) पर भाष्यम और अडिगा का संदर्भ दिया गया है, जिसमें चाल्मर की पुस्तक 'द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया' (चौथा संस्करण) और चिट्टी द्वारा समझाई गई कानूनी स्थिति का एक अंश उद्धृत किया गया है। प्रासंगिक परिच्छेद और निष्कर्ष

यू. पोनप्पा मूथन सन्स, पालघाट (ऊपर) में न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मामले इस प्रकार हैं:

" 13. हालांकि, लापरवाही के कानूनी महत्व के संबंध में "विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण" के सिद्धांत की सराहना करने में

चाल्मर्स की पुस्तक "द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल" से अंश

ब्रिटिश भारत में उपकरणों (चौथा संस्करण) पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है:

" लेन-देन की सभी परिस्थितियाँ जिसके द्वारा धारक

उपकरण के कब्जे में होने पर असर पड़ता है सवाल यह है कि क्या उनके पास "विश्वास करने का पर्याप्त कारण" था कि कोई

दोष मौजूद था।

यह निर्णय लेने के लिए न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है, किसी भी मामले में जहां धारक

बिना गहन पूछताछ के उपकरण लेने में लापरवाही की गई है

उसके हस्तांतरणकर्ता की उपाधि के बारे में, क्या ऐसी लापरवाही ऐसी है असाधारण रूप से इस धारणा को जन्म देने के लिए कि धारक के पास था

यह मानने का कारण कि ऐसा शीर्षक दोषपूर्ण था।

(जोर दिया गया)

यह दृष्टिकोण अधिक ठोस और तार्किक है। कानूनी स्थिति जैसा कि समझाया गया है

चिट्ठी द्वारा इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है जो निम्नानुसार हैः

" जबकि रचनात्मक सूचना का सिद्धांत लागू नहीं होता है परक्राम्य उपकरणों का कानून जिसके लिए धारक हकदार नहीं है

एक "लाल झंडे" की उपेक्षा करें जिसने उसके संदेह को बढ़ा दिया है।

1 3 (1991) 1 एस. सी. सी 113 1 4 एन. आई. अधिनियम की धारा 9 में "विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

प्रदीप कुमार और एक अन्य बनाम। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

इसलिए हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को संशोधित करते हैं।

दुर्गा शाह के मामले में इस हद तक कि हालांकि साबित करने में विफलता

ईमानदारी से या लापरवाही की अनुपस्थिति दावे को नकारात्मक नहीं करेगी। धारक का नियत समय में धारक होना, फिर भी परिस्थितियों में

किसी दिए गए मामले में, यदि उसकी ओर से पेटेंट की घोर लापरवाही है

जो अपने आप में उचित परिश्रम की कमी को इंगित करता है, यह उसके नकारात्मक हो सकता है

दावा, क्योंकि वह लापरवाही से एक "लाल झंडे" की अवहेलना नहीं कर सकता है जो शीर्षक के बारे में संदेह पैदा करता है। इस मामले में

हम मानते हैं कि राघवजी मामले में निर्णय निर्धारित नहीं है

सही कानून। हम इलाहाबाद हाई द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

उपरोक्त संशोधन के साथ न्यायालय।

XX

XX

X

X

17. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि भारतीय परिभाषा

नियत समय में धारक पर अधिक सख्त शर्त लगाता है

अंग्रेजी परिभाषा की तुलना में और जैसा कि विद्वान लेखकों ने नोट किया है

परिभाषा गिल मामले पर आधारित है। भारतीय कानून के तहत, एक धारक,

नियत समय में धारक होने के लिए, न केवल बिल प्राप्त किया होना चाहिए,

वैध विचार के लिए नोट या चेक लेकिन प्राप्त किया जाना चाहिए था

यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना कि कोई भी

उस व्यक्ति की उपाधि में दोष मौजूद था जिससे उसने अपनी उपाधि प्राप्त की थी।

उचित सावधानी के साथ। हालांकि, केवल प्रामाणिक साबित करने में विफलता उसकी ओर से लापरवाही की निष्ठा या अनुपस्थिति उसके लिए नकारात्मक नहीं होगी

दावा करें। लेकिन किसी मामले में यह तय करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि क्या

धारक की ओर से लापरवाही इतनी घोर और असाधारण है

यह मानने के लिए कि उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि

शीर्षक दोषपूर्ण था। हालाँकि, जब अनुमान उनके पक्ष में होता है

जैसा कि S.118 (g) के तहत प्रदान किया गया है, परिस्थितियों में खंडन किया जाता है

उसमें यह साबित करने का भार उल्लिखित है कि वह एक 'धारक' है।

आय को वाहक के खाते में जमा करने के लिए निहित उसी को प्राप्त करने से पहले। संतुष्टि के बारे में पूछताछ

इस आवश्यकता का हमेशा तथ्यों पर निर्भर करता है और

यह विश्वास करने का कारण है कि "इस पृष्ठभूमि में समझना होगा"। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि संतुष्टि के संबंध में जांच

समानताएं हमेशा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।

च मामला।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. हमारी राय में, धारा 118 के खंड (जी) के तहत धारणा लागू नहीं होगी क्योंकि रुखसाना एक घोड़सवार और साधन नहीं है।

अपीलार्थियों के नाम पर था। इसके अलावा, रुखसाना एक 'नियत समय में धारक' नहीं है, क्योंकि उसने, और उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया था, वैध मालिकों, यानी अपीलार्थियों से, माध्यम से दस्तावेज़ का कब्जा प्राप्त किया था।

मुख्य रूप से एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 82 के खंड (सी) के अनुप्रयोग पर हमारे निर्णय की भविष्यवाणी करते हुए क्योंकि के. वाई. पी. वाहक थे। उपकरण। प्रत्यर्थी एन. आई. अधिनियम की धारा 82 (सी) के तहत यह दर्शाकर आरोपमुक्त करने का दावा कर सकता है कि उन्होंने धारा 10 की आवश्यकताओं का पालन किया था, यानी उन्होंने सद्भावना और लापरवाही के बिना काम किया था।

23. 1988 सरकारी बचत की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में नियम जारी किए गए हैं।

प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (संक्षेप में, "जी. एस. सी. अधिनियम")। इस धारा में कहा गया है कि केंद्र सरकार इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

जी. एस. सी. अधिनियम और विशेष रूप से ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करने और उनके निर्वहन के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, और बचत प्रमाणपत्रों और उनके संबंध में लगाए जाने वाले शुल्कों के हस्तांतरण और रूपांतरण के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 2 में खंड (ए) में परिभाषित 'धारक' का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास इस अधिनियम और किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार बचत प्रमाण पत्र है।

इसके तहत बनाया गया। धारा 2 के खंड (डी) में 'हस्तांतरण' को अंतर-व्यवहार हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें कानून के संचालन द्वारा हस्तांतरण शामिल नहीं है।

24. जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 4 बचत को रखने से संबंधित है।

नाबालिगों द्वारा या उनकी ओर से प्रमाण पत्र; धारा 5 भुगतान से संबंधित है जहां बचत प्रमाण पत्र नाबालिग द्वारा या उसकी ओर से रखा जाता है; धारा 6 बचत प्रमाण पत्र धारकों द्वारा नामांकन से संबंधित है; और धारा 7 धारक की मृत्यु पर बचत प्रमाण पत्र के भुगतान से संबंधित है। जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 4 और 6 अबाधित प्रावधान हैं जो उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रबल हैं।

25. हालाँकि, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह है जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 8 और 11 जो पढ़ती हैः

" 8. भुगतान पूर्ण निर्वहन होना चाहिए। - (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार किसी नाबालिग प्रदीप कुमार और अन्य को किया गया कोई भी भुगतान।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

या अपने माता-पिता या अभिभावक या किसी नामित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को के संबंध में सभी आगे के दायित्व से पूर्ण निर्वहन होगा

इस प्रकार भुगतान की गई राशि।

(2) उप-धारा (1) की किसी भी बात को कोई बाधा नहीं माना जाएगा। निष्पादक या प्रशासक या मृतक का अन्य प्रतिनिधि

व्यक्ति से वसूली से बचत प्रमाण पत्र के धारक धारा 7 के तहत उसी राशि को प्राप्त करने के लिए उसके खाते में शेष राशि

सभी ऋणों या अन्य मांगों की राशि काटने के बाद हाथ

प्रशासन के नियत समय में उसके द्वारा कानूनी रूप से भुगतान या निर्वहन। (3) किसी के धारक की संपत्ति के विरुद्ध कोई लेनदार या दावेदार

बचत प्रमाणपत्र उसके ऋण की वसूली कर सकता है या राशि में से दावा कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है और उसके हाथों में रहता है

प्रशासित नहीं, उसी तरीके से और उसी हद तक जैसे कि

उत्तरार्द्ध ने संपत्ति को प्रशासन के पत्र प्राप्त किए थे

मृतक।

XX

XX

XX

11. सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई सूट या

जो इस अधिनियम के तहत सद्भावना से किया गया है या करने का इरादा है। हमारी राय में, जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 8 और 11 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

वर्तमान मामले में। धारा 8 में कहा गया है कि पूर्वगामी के अनुसार भुगतान किए जाने पर भुगतान पूर्ण निर्वहन में होगा।

जी. एस. सी. अधिनियम के प्रावधान, यानी भुगतान, जहां प्रमाण पत्र नाबालिग द्वारा या उसकी ओर से रखा जाता है, धारा 5 के संदर्भ में और धारा 7 के संदर्भ में धारक की मृत्यु पर भुगतान। जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 8 में 'नाबालिग', 'उसके माता-पिता' या 'अभिभावक' शब्द जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 5 में संदर्भित व्यक्ति हैं और 'नामित' और 'कोई अन्य व्यक्ति' शब्द जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 7 में संदर्भित व्यक्ति हैं। द.

हमारी राय में 'कोई अन्य व्यक्ति' अभिव्यक्ति जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करेगी, जो निम्नानुसार हैः

" 7. धारक की मृत्यु पर भुगतान।

XX

XX

XX

(5) इस धारा में निहित कुछ भी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। बचत [2022] 19 एस. सी. आर. पर देय राशि का भुगतान प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति।

परिपक्वता तक पहुँचने से पहले या अन्यथा प्रमाण पत्र

बचत प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार "।

26. इस प्रकार, धारा 8 की उप-धारा (1) उत्तरदाताओं की सहायता के लिए तभी आएगी जब भुगतान किया जाता है जहां बचत की जाती है।

प्रमाण पत्र नाबालिग द्वारा या उसकी ओर से और नामांकित व्यक्ति या उसके पास रखा जाता है। धारक की मृत्यु पर धारा 7 की उप-धारा (5) में उल्लिखित व्यक्ति।

यह सामान्य या सार्वभौमिक अनुप्रयोग का प्रावधान नहीं है और जब जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 5 और 7 लागू नहीं होती है तो उत्तरदाताओं को उनके दायित्व से मुक्त नहीं करता है। धारा 8 (1) जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 5 और 7 द्वारा कवर और नियंत्रित नहीं किए गए भुगतानों की रक्षा नहीं करती है। धारा 5 और 7 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती हैं। 27. इसी तरह, धारा 11 जी. एस. सी. अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी निर्धारित प्राधिकारी की सुरक्षा करती है। वर्तमान कार्यवाहियों का विषय

जी. एस. सी. अधिनियम के तहत उत्तरदाताओं द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। ऐसी कोई याचिका या बचाव नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया और उठाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जी. एस. सी. अधिनियम की धारा 3 1 5 में कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बचत प्रमाणपत्र का कोई भी हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि यह 'निर्धारित' प्राधिकरण की लिखित सहमति से नहीं किया जाता है। धारा 2 (बी) 1 6 में परिभाषित 'विहित' शब्द का अर्थ है जी. एस. सी. अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित।

28. के. वी. पी. या अन्य उपकरणों को भुनाते समय 1988 के नियमों के तहत डाकघर द्वारा उपयोग किए जाने वाले देखभाल के मानक के पहलू का विज्ञापन करने से पहले, हम संक्षेप में विचार करना चाहेंगे कि क्या विचाराधीन के. वी. पी. एस. वाहक उपकरण थे या आदेश के लिए देय थे। यह उत्तरदाताओं का रुख प्रतीत होता है, हालांकि विशेष रूप से नहीं कहा गया और तर्क दिया गया कि केवीपी वाहक उपकरण थे और इसलिए उपकरण के वाहक द्वारा भुनाया जा सकता था। उत्तरदाताओं का यह रुख, हमारी राय में, आंशिक रूप से सही है क्योंकि केवीपी 1988 के संदर्भ में भुनाने योग्य हैं।

नियम। के. वी. पी. वाहक उपकरण हैं जिन्हें 'भौतिक धारक' और नकदीकरण के लिए उपकरण के प्रस्तुतकर्ता को भुगतान करने से पहले शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, एक पहलू जिसे हम विस्तार से बताएंगे। उत्तरदाता हैं - 15 3. बचत प्रमाणपत्र के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। - तत्काल प्रभाव से किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बचत प्रमाण पत्र का कोई भी हस्तांतरण, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में किया गया हो, तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह निर्धारित प्राधिकारी की लिखित में पूर्व सहमति से नहीं किया गया हो।

62 (ख) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित; प्रदीप कुमार और अन्य v.

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

जब तक निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक के. वी. पी. एस. का सम्मान करने का दायित्व नहीं है। हालांकि, एक बार जब हम इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि केवीपी वाहक उपकरण हैं, तो निर्माता, यानी उत्तरदाताओं को तब छुट्टी दे दी जाएगी जब वे एनआई अधिनियम की धारा 82 के खंड (सी) के संदर्भ में भुगतान करते हैं, जो कि अधिनियम की धारा 10 द्वारा परिभाषित 'नियत समय में किया गया भुगतान' है। स्पष्टता के लिए, हम यह भी कहेंगे कि यदि के. वी. पी. को आदेश देने के लिए देय माना जाता है, तो निर्माता, यानी उत्तरदाताओं को एन. आई. अधिनियम की धारा 78 के अनुसार दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा जब वे 'धारक' को भुगतान करेंगे, जिसका अर्थ है अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक व्यक्ति जो उपकरण के कब्जे का हकदार है और उपकरण के निर्माता से राशि की वसूली के लिए मुकदमा करने का भी हकदार है। केवीपी के निर्माता के रूप में उत्तरदाताओं ने धारा 78 के संदर्भ में दायित्व का निर्वहन नहीं किया है क्योंकि रुखसाना को भुगतान केवीपी के 'धारक' को नहीं किया गया था। दोहराने के लिए, रुखसाना को अपने नाम पर देय राशि की वसूली के लिए उपकरण के निर्माता, स्वीकारकर्ता या प्रवर्तक पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। केवीपी रुखसाना के पक्ष में नहीं थे।

29. यह तय करने के लिए कि क्या केवीपी सरल वाहक उपकरण थे या शर्तों के साथ एक वाहक उपकरण, 1988 के प्रासंगिक नियमों को प्राप्त करना आवश्यक है। ये नियम तब भी प्रासंगिक होते हैं जब हम सद्भावना और लापरवाही के सवाल की जांच करते हैं। 1988 के नियमों का नियम 11, जो नकदीकरण के स्थान से संबंधित है, निम्नानुसार अभिधारणा करता हैः

" 11. नकदीकरण का स्थानः - एक प्रमाण पत्र डाकघर में इसके निर्गम के लिए भुनाने योग्य होगाः - बशर्ते कि एक प्रमाण पत्र हो सकता है

किसी अन्य डाकघर में भुनाया जाता है यदि उसका प्रभारी अधिकारी

डाकघर पहचान पर्ची या पर्ची दिखाने पर संतुष्ट है।

इस मुद्दे का डाकघर से सत्यापन कि प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति

नकदीकरण के लिए प्रमाण पत्र इसके हकदार हैं।

नियम 11 पहचान पर्ची को संदर्भित करता है जो नियम 9 के संदर्भ में जारी की जाती है और पढ़ती हैः

" 9. पहचान पर्चीः - (1) यदि किसी प्रमाण पत्र के धारक या धारकों द्वारा किसी भी समय पहचान पर्ची जारी करने का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसे धारक या धारकों को उनके हस्ताक्षर पर एक पहचान पर्ची जारी की जाएगी।

पहचान पर्ची।

(2) फाइनल के समय पहचान पर्ची को सरेंडर कर दिया जाएगा। प्रमाणपत्र के निर्वहन या इसके नुकसान के मामले में, इस तरह के नुकसान की घोषणा डाकघर को दी जाएगी। "[2022] 19 एस. सी. आर.

के. वी. पी. कब और बाद में जारी किए जाते हैं। धारक/धारक को पहचान पर्ची पर हस्ताक्षर करने होते हैं। नियम 9 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि पहचान पर्ची को प्रमाण पत्र के अंतिम निर्वहन के समय सौंप दिया जाएगा, या नुकसान की स्थिति में, उक्त नुकसान की घोषणा डाकघर को दी जाएगी। नियम 11 में कहा गया है कि एक प्रमाण पत्र उस डाकघर में भुनाया जा सकता है जिसने इसे जारी किया था। हालांकि, एक केवीपी को किसी भी समय भुनाया जा सकता है। अन्य डाकघर यदि उस डाकघर के प्रभारी अधिकारी को पहचान पत्र प्रस्तुत करने या जारी करने वाले डाकघर से सत्यापन करने पर संतुष्ट किया जाता है कि नकदीकरण के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति हकदार है।

भुनाने के लिए। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवीपी सरल वाहक उपकरण हैं जो किसी को भी भुगतान करने योग्य हैं जो इसे नकदीकरण और निर्वहन के लिए प्रस्तुत करते हैं।

नियम, क्योंकि ऐसे मामलों में भी नियम 9 के साथ पढ़ा गया नियम 11 लागू होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तरदाताओं ने डाकघर बैंक नियमावली जारी की है (खंड 2), जो खंड 23 (1) और 23 (2) के अनुसार निम्नानुसार अधिदेशित करता हैः

" प्रमाणपत्र का सम्मान

23 (1) एस. बी. का काम करने वाले भारत के किसी भी डाकघर में नकदीकरण के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह न तो कार्यालय में पंजीकृत है और न ही इसके साथ एक पहचान पर्ची है, तो धारक से अनुरोध किया जाएगा कि वह उस कार्यालय में प्रमाण पत्र को भुनाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक आवेदन करे जिसमें उस डाकघर का नाम, जिसमें यह पंजीकृत है, प्रमाण पत्र का पूरा विवरण, अर्थात। , पूर्वनिर्धारित अक्षरों के साथ क्रम संख्या, जारी करने की तारीख और पंजीकरण संख्या और खरीद के लिए आवेदन में दिए गए पूरे नाम और पते के साथ। उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका वर्तमान पता दिया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र का विवरण

पोस्टमास्टर द्वारा मूल प्रमाण पत्र से सत्यापित किया जाएगा जो लगभग एक सप्ताह के बाद प्रस्तुत करने के लिए धारक को वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पर तारीख-मुहर लगाई जाएगी और सत्यापन के लिए पंजीकरण कार्यालय में भेजा जाएगा और 3 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। जिस कार्यालय में धारक द्वारा भुगतान वांछित है, उसे एक सप्ताह के भीतर कोई जवाब नहीं मिलने पर पंजीकरण कार्यालय को याद दिलाना चाहिए। इस बीच पूछताछ की जा सकती है

आवेदक की पहचान के बारे में स्थानीय पता।

वापस प्राप्त होने पर प्रदीप कुमार और एक अन्य वी। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

पंजीकरण कार्यालय से आवेदन के बारे में, धारक को तथ्य के बारे में सूचित किया जाएगा और नकदीकरण के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसे मामलों में संशोधित प्रक्रिया के लिए नियम 31 देखें। भुनाने के लिए प्रमाण पत्र की जांच की जानी चाहिए:

(क) क्या गैर-नकदीकरण की अवधि समाप्त हो गई है। हालाँकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में, एक प्रमाण पत्र को गैर-नकदीकरण की अवधि की समाप्ति से पहले भुनाया जा सकता है:

(i) धारक या दोनों धारकों की मृत्यु के मामले में

संयुक्त धारक;

((ख) राजपत्रित किसी गिरवी द्वारा ज़ब्त किए जाने पर, सरकारी अधिकारी; ((ग) जब स्वामित्व निर्धारित सीमा से अधिक हो;

((iv) जब प्रमाण पत्र के उल्लंघन में जारी किया गया है

नियम; ((v) जब किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है; और

(vi) के. वी. पी. और एन. एस. सी. के मामले में संयुक्त धारकों में से एक की मृत्यु पर। (VIII-अंक)

(ख) धारक का नाम, प्रमाण पत्र की संख्या और आवेदन या पहचान पर्ची में दिखाई देने वाली उसके जारी होने की तारीख, प्रमाणपत्र पर प्रविष्टियों के साथ मेल खाता है;

(ग) यह प्रमाणपत्र वह नहीं है जिसे पोस्टमास्टर जनरल के परिपत्रों में डाकघरों से जारी करने से पहले खोया या चोरी होने की सूचना दी गई हो;

(घ) कि प्रमाणपत्र किसी न्यायालय द्वारा संलग्न नहीं किया गया है;

(ङ) यदि धारक को पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उसे सरेंडर कर दिया जाता है और यह निर्धारित प्रपत्र में होता है। यदि पहचान पर्ची वह है जिस पर धारक के नमूना हस्ताक्षर चिपकाए जाते हैं, तो यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि नमूना हस्ताक्षर प्रतिस्थापित नहीं है और उस पर मुहर की छाप बरकरार है।

(च) कि प्रमाणपत्र वह नहीं है जिसका डुप्लिकेट जारी किया गया है; (छ) यदि पूर्ण परिपक्वता मूल्य का दावा किया जाता है, तो परिपक्वता की तारीख की शुद्धता को तिथि टिकट और [2022] 19 एस. सी. आर. के संदर्भ में सत्यापित किया जाना चाहिए।

प्रमाणपत्र और आवेदन या पहचान पर्ची पर अंकित जारी करने की तारीख; और

(ज) कि प्रमाणपत्र धारक द्वारा किसी भी समय खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने की सूचना नहीं दी गई है। ऐसे मामलों में नियम 43 के उप-नियम (2) के नीचे टिप्पणी 2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

पंजीकरणः यदि धारक पहचान पर्ची प्रस्तुत करता है, तो पंजीकरण कार्यालय से पूर्व सत्यापन आवश्यक नहीं है। पहचान पर्ची के धारक की पहचान/वास्तविकता की फिर से पुष्टि करने के लिए पंजीकरण/जारी करने के कार्यालय को एक संदर्भ दिया जा सकता है। किसी प्रामाणिक निवेशक/धारक को देरी का अनुचित उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है

प्रमाणपत्र की परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के बाद पंजीकरण के कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय में पहचान पर्ची के साथ, पूर्व सत्यापन के लिए पंजीकरण के कार्यालय को एक संदर्भ दिया जा सकता है, यदि पोस्टमास्टर इसे आवश्यक समझता है।

(2) यदि काउंटर सहायक उपरोक्त सभी बिंदुओं पर संतुष्ट है, तो वह देय राशि की गणना करेगा और फिर धारक से "प्राप्त भुगतान" प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेगा।

रुपये. "उनकी उपस्थिति में शब्दों और आकृतियों में। यदि प्रमाण पत्र को संदेशवाहक के माध्यम से नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो

अनुमोदन पर पहले से ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए थे और प्रमाण पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए जिसमें संदेशवाहक के नमूना हस्ताक्षर हों। देखना चाहिए कि क्या अनुमोदन के नीचे हस्ताक्षर और प्राधिकरण पत्र यदि कोई हो, तो आवेदन या पहचान पर्ची पर उससे सहमत हैं। द.

इसके बाद प्रमाण पत्र को पोस्टमास्टर के सामने रखा जाएगा जो प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता और धारक के शीर्षक के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रमाण पत्र की जांच निर्धारित तरीके से की गई है और प्रमाण पत्र पर उल्लिखित देय राशि सही है। इसके बाद वह भुगतान को अधिकृत करने के लिए धारक के हस्ताक्षर के लिए स्थान के ऊपर एक उपयुक्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर के तहत 'भुगतान' का आदेश पारित करेगा। इसके बाद काउंटर सहायक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

जब भुगतान प्रदीप कुमार और एक और v होता है। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

धारक के हस्ताक्षर के अलावा, धारक के समर्थन के नीचे लिया गया, "रुपये का प्राप्त भुगतान"। यदि अनुमोदन के नीचे धारक के हस्ताक्षर रिकॉर्ड पर उस बात से सहमत नहीं हैं, तो भुगतान केवल धारक की पहचान होने के बाद किया जाएगा और उसके हस्ताक्षर पहचानकर्ता (धारक के एजेंट या दूत के अलावा) द्वारा सत्यापित किए गए हैं, जो डाकघर को ज्ञात है या निम्नलिखित में से किसी ने संकेत दिया है। (i) से (v) नीचे की वस्तुओं पर जिनके हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के साथ डाकघर परिचित है या उल्लिखित किसी भी प्रमाण को पेश करने पर

नीचे आइटम (vi) में हैः

(i) राष्ट्रीय बचत संगठन के जिला आयोजक;

((ii) शांति के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट (मानद मजिस्ट्रेट सहित)

और न्यायाधीश;

((iv) शिक्षा सचिव या सार्वजनिक संस्थानों के निदेशकों द्वारा अनुशंसित महाविद्यालयों के प्राचार्य और उच्च विद्यालयों के प्रमुख; (v) अपने पद की मुहर के तहत एक सरकारी अधिकारी; और

(vi) एक डाक पहचान पत्र, एक पासपोर्ट या कोई अन्य पहचान पत्र जिसमें एक उचित प्राधिकारी द्वारा जारी धारक की तस्वीर हो। द.

इस तरह के प्रमाण का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए

पर्यवेक्षण के हस्ताक्षर के तहत प्रमाण पत्र पर दर्ज किया गया

अधिकारी।

प्रमाणन निम्नलिखित शब्दों में होना चाहिएः

" आवेदक मुझे जानता है और उसने अपने अंगूठे पर हस्ताक्षर किए हैं।

मेरी उपस्थिति में लिया गया है "। प्रत्येक प्रमाण पत्र के निर्वहन और ब्याज के भुगतान की तारीख प्रमाण पत्र से संबंधित प्रविष्टि के सामने दर्ज की जाएगी

के दिनांकित आद्याक्षरों के तहत आवेदन का उल्टा

पोस्टमास्टर "।

31. डाक सेवा निदेशक द्वारा जारी पत्र संख्या 95-8/98-SB दिनांक 18.08.1999 में कहा गया है कि Rs.20,000/o से अधिक का कोई भी भुगतान चेक द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें लिखा हैः

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" डी. जी. पदों ने निर्देश दिया है कि किसान विकास पत्रों का निर्वहन मूल्य रुपये से अधिक है। 20,000 इसके बजाय चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए

भविष्य में डाकघरों द्वारा नकद की तुलना में।

हालाँकि, विवादित निर्णय सहायक श्री ए. एन. दुरेजा द्वारा लिखित "डाकघर लघु बचत योजना" (भाग एक) को संदर्भित करता है।

महानिदेशक (सेवानिवृत्त), पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा, नियम 19 के अनुसार, जिसमें लिखा हैः

" 19. किसान विकास पत्रों के भुगतान मूल्य का भुगतानः किसान विकास पत्रों का निर्वहन मूल्य यदि यह Rs.20,000/- या उससे अधिक है तो केवल डाकघरों द्वारा चेक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 269-टी में दिया गया है। [डी. जी. पोस्ट का पत्र संख्या 5 20/यूपी-06/2000-आईएनवी दिनांक 28/29.8.2001] "। इस परिपत्र पर भरोसा करते हुए, एन. सी. डी. आर. सी. ने कहा कि उपरोक्त

यह शर्त 28 अगस्त, 2001 से लागू हुई थी। विवादित निर्णय पत्र संख्या 95-8/98-एस. पी. दिनांकित का उल्लेख नहीं करता है।

18.08.1999 ऊपर उद्धृत किया गया। सही स्थिति का पता लगाने के लिए, हमने उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील से यह बताने के लिए कहा था कि क्या पत्र संख्या 95-8/98-SB दिनांक 18.08.1999 के माध्यम से जारी किया गया आदेश है कि के. वी. पी. के निर्वहन मूल्य के लिए भुगतान, यदि ऐसा मूल्य रु। 20,000 / या अधिक, नकद के बजाय चेक द्वारा होना चाहिए। प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील ने समय लिया लेकिन वापस नहीं किया, जिसे हम एक स्वीकृति के रूप में मानते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा लिया गया रुख है

सही है। 32. इस स्तर पर, 1988 के नियमों के नियम 14 और 15 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार हैंः

" 14. प्रमाणपत्र का निर्वहन। (1) प्रमाण पत्र के तहत देय राशि प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति

इसके नकदीकरण पर, होने के प्रतीक के रूप में इसके पीछे हस्ताक्षर करेंगे।

भुगतान प्राप्त किया।

(2) उस नाबालिग की ओर से खरीदे गए प्रमाण पत्र के मामले में, जिसने तब से बहुमत प्राप्त कर लिया है, प्रमाण पत्र पर ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाएंगे; लेकिन उसके हस्ताक्षर या तो उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे जिसने उसे उसकी ओर से खरीदा था या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

जो पोस्टमास्टर को पता है।

15. डाकघर की जिम्मेदारी।

प्रदीप कुमार और एक अन्य बनाम। पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

डाकघर किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा

प्रमाणपत्र का कब्जा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा धारक और इसे धोखाधड़ी से भुनाना "।

उक्त नियमों की जांच करते समय, हम इन पर भी विचार करेंगे -

अपीलार्थियों की ओर से अंशदायी लापरवाही का आरोप। नियम 14 (1) में कहा गया है कि देय राशि प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, प्रमाण पत्र के भुनाने पर, भुगतान प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में उसके पीछे हस्ताक्षर करेगा। यह उपकरण के निर्वहन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है और भुगतान प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र के पीछे हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि अपीलकर्ताओं को भुगतान प्राप्त हुआ था। हमारे विचार से नियम 14 (1) का बैंकर यानी डाकघर की ओर से सद्भावना और लापरवाही के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। नियम 14 (1) डाकघर को एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 82 के खंड (सी) के संदर्भ में वैधानिक दायित्व और परिणामी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। नियम 15 में कहा गया है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रमाण पत्र का कब्जा प्राप्त करता है और धोखाधड़ी करता है तो डाकघर धारक को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उसी को एनकैश करते हैं। नियम 15 उत्तरदाताओं को लापरवाही या सद्भावना के अभाव के मामले में दोषमुक्त नहीं करता है। यह तब लागू होता है जब डाकघर अन्यथा सद्भावना और लापरवाही के बिना कानून के अनुसार कार्य करता है। नियम 15 तब सुरक्षा नहीं देगा जब डाकघर का कोई अधिकारी शामिल हो या धोखाधड़ी का अपराधी हो।

33. जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं और उत्तरदाताओं की ओर से लापरवाही (और सद्भावना की कमी जैसा कि संकेत दिया गया है) के सवाल की जांच करते हैं, तो निम्नलिखित तथ्यात्मक मैट्रिक्स स्थापित होता हैः

के. वी. पी. अपीलार्थियों के नाम पर थे।

((i)

((ख)

के. वी. पी. एस. का रुखसाना के नाम पर समर्थन नहीं किया गया था।

हालाँकि अपीलकर्ताओं ने के. वी. पी. के निर्वहन और भुगतान के लिए उल्लिखित स्थान पर हस्ताक्षर किए थे।
के. वी. पी. डाक पर नकदीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(iii)

उसके मुद्दे का कार्यालय। नियम 11 के संदर्भ में, के. वी. पी. को डाकघर के अलावा किसी अन्य डाकघर में भुनाया जा सकता था, जो उन्हें जारी करता था, केवल तभी जब डाकघर का प्रभारी

अधिकारी संतुष्ट होता है, पहचान पर्ची पेश करने पर या जारी करने वाले डाकघर से सत्यापन पर, कि [2022] 19 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

नकदीकरण के लिए केवीपी प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति हकदार है

वहाँ तक।

के. वी. पी., जब प्रस्तुत किए गए थे, अपीलार्थियों की पहचान पर्ची के बिना थे। नियम 9 के अधिदेश के अनुसार, प्रमाण पत्र के निर्वहन के समय पहचान पर्ची को सरेंडर करना पड़ता था या नुकसान की स्थिति में, इस तरह के नुकसान की घोषणा डाकघर को प्रस्तुत करनी होती थी। कोई घोषणा नहीं थी सुसज्जित।

नकदीकरण, अर्थात् रुखसाना, इसके हकदार हैं। इस प्रकार, 1988 के नियमों के नियम 9 और 11 का उल्लंघन हुआ। यह भी पता चलता है कि रुखसाना 'धारक' नहीं थी। डाकघर बैंक नियमावली (खंड 2) के खंड 23 (1) और 23 (2) का भी उल्लंघन किया गया है, जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है। खंड 23 (1) में कहा गया है कि जब कोई के. वी. पी. भारत के किसी भी डाकघर में बचत बैंक का काम करते हुए नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसा के. वी. पी. उस डाकघर में पंजीकृत नहीं होता है और उसके साथ पहचान पत्र नहीं होता है, तो धारक को एक आवेदन करना होगा।

ऐसे अन्य डाकघर में के. वी. पी. को भुनाने की उसकी इच्छा और आवेदन में उस डाकघर का नाम जहां के. वी. पी. पंजीकृत है, प्रमाण पत्र का पूरा विवरण, यानी क्रम संख्या, जारी करने की तारीख और पंजीकरण संख्या का उल्लेख है। इसके अलावा, उसे अपना पूरा नाम और पता भी देना होगा जैसा कि खरीद के लिए आवेदन में दिया गया है। आवेदन में प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर के नीचे उसका वर्तमान पता भी होना चाहिए। वर्तमान मामले में, कोई लिखित

अपीलार्थियों द्वारा आवेदन किया गया था और रुखसाना द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के साथ दाखिल किया गया था। रुखसाना, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उस लिखत का 'धारक' नहीं है जो अपीलार्थियों के नाम पर जारी किया गया था जो भुगतान के हकदार थे।

खंड 23 (1) पोस्ट मास्टर द्वारा सत्यापन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है जब एक केवीपी, पहचान प्रदीप कुमार और अन्य के साथ नहीं होता है।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

पर्ची, पंजीकृत डाकघर के अलावा अन्य डाकघर में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है। यह अनिवार्य करता है कि प्रस्तुतकर्ता एक आवेदन करेगा जिस पर तारीख की मुहर लगेगी। एक सप्ताह के बाद, पोस्टमास्टर मूल वापस कर देंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए धारक को प्रमाण पत्र। सत्यापन अभ्यास में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ आवेदन पर हस्ताक्षर की प्रामाणिकता का पता लगाना शामिल है जिसके नाम पर प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बेमेल के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया

हस्ताक्षर निर्धारित है।

(viii) के. वी. पी. अपीलार्थियों के नाम पर थे। रुखसाना उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नियुक्त एक एजेंट थी।

बचत साधनों के ग्राहकों/धारकों को सुविधा प्रदान करना। रुपये की बड़ी राशि का भुगतान। 25,54,000 / - रुखसाना को नकद में देना अपने आप में लापरवाही का कार्य है। यह ईमानदारी की कमी और इसके परिणामस्वरूप सद्भावना की कमी का संकेत देता है। इसके अलावा, यह डाकघर के एक अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी का मामला है। नकद में भुगतान इसके विपरीत था और पत्र No.95-8/98-SB दिनांकित 18.08.1989 का उल्लंघन था, जो अनिवार्य करता है कि Rs.20,000/- से अधिक भुगतान चेक द्वारा किया जाना चाहिए न कि नकद में।

34. अब हम अंशदायी लापरवाही के मुद्दे और सवाल की जांच करेंगे। अंशदायी लापरवाही पर कानूनी स्थिति में कहा गया है केरल राज्य सहकारी विपणन संघ (ऊपर)। उक्त पहलू पर विस्तृत चर्चा केनरा बैंक बनाम में पाई जा सकती है। केनरा सेल्स कॉर्पोरेशन एंड अदर्स ", जो एक ऐसा मामला था जिसमें जालसाजी की गई थी।

चेकों को भुनाया गया और ग्राहक ने दूसरों के बीच अपने बैंकर के खिलाफ दावा किया था। बैंक ने ग्राहक की लापरवाही का आरोप लगाया था। बैंकिंग अनुबंध और अपकृत्य कानून के संदर्भ में ग्राहक के नागरिक दायित्व के पहलू पर, यह निर्णय ताई हिंग कॉटन मिल लिमिटेड बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को मंजूरी देता है। लियू चोंग हिंग बैंक लिमिटेड और अन्यः 18

" 37. फिर प्रिवी काउंसिल ने बैंक द्वारा दी गई भारी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया (1) ग्राहक की ओर से परिश्रम के साथ कार्य करना एक व्यापक कर्तव्य है जिसे अनुबंध में निहित किया जाना चाहिए और वैकल्पिक रूप से यह कि ऐसा कर्तव्य बैंक द्वारा दिए गए अपकृत्य में उत्पन्न होता है।

7 (1987) 2 एस. सी. सी. 666

18 (1985) 2 सभी ईआर 947 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी ने यहां अपील न्यायालय के अवलोकन के साथ भाग लिया और इस याचिका को खारिज कर दिया कि एक बैंकर और ग्राहक के बीच एक अनुबंध में एक व्यापक कर्तव्य का संकेत देना आवश्यक था और यह बैंकर/ग्राहक संबंध की एक आवश्यक घटना नहीं थी कि ग्राहक को अपने बैंकर को देखभाल का एक व्यापक कर्तव्य देना चाहिए। यह कर्तव्य है ग्राहक द्वारा अभ्यास करने के लिए एक वचन के रूप में

अपने लिखित आदेशों को निष्पादित करने में उचित सावधानी बरतें ताकि बैंक को गुमराह न किया जा सके या जालसाजी की सुविधा न दी जा सके। प्रिवी काउंसिल ने स्वीकार किया कि अनुबंध में एक दायित्व को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इस अनुबंध की प्रकृति निहित रूप से आवश्यक है। दूसरे शब्दों में "शब्द की मांग की गई

निहित एक होना चाहिए जिसके बिना पूरा लेनदेन होगा व्यर्थ और अप्रभावी हो जाते हैं। " कुछ पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, प्रिवी काउंसिल ने निहित अवधि प्रस्तुत करने को खारिज कर दिया और निम्नलिखित शब्दों में ग्राहक की देखभाल और बैंकों के कार्यों की सीमा निर्धारित कीः (सभी ई. आर. पी. 956)

" कॉन्स जे. ए. की इस टिप्पणी को पूरी तरह से समझा जा सकता है कि बैंकों को आज सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए। तो ऐसा ही हो। वे अपने व्यवसाय की शर्तों की गंभीरता को बढ़ा सकते हैं, और वे अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है, ताकि वे विधायिका को यह समझाने की कोशिश कर सकें कि उन्हें कानून द्वारा आगे दिया जाना चाहिए। संरक्षण। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उनके व्यवसाय का विस्तार उनके ग्राहक के साथ उनके संबंधों की आवश्यक घटनाओं को भी बदलना होगा। बैंकिंग का व्यवसाय ग्राहक का नहीं बल्कि बैंक का व्यवसाय है। वे एक सेवा प्रदान करते हैं, जो क्रेडिट में किसी खाते में या सहमत ओवरड्राफ्ट सीमा के भीतर अपने ग्राहक के चेक का सम्मान करने के लिए होती है। अगर वे चेक पर भुगतान करते हैं

जो उसके नहीं हैं, वे अपने अधिदेश के बाहर काम कर रहे हैं और उसके खाते में अपने डेबिट के औचित्य में उसके अधिकार का अनुरोध नहीं कर सकते हैं। यह उस सेवा का जोखिम है जो प्रदान करना उनका व्यवसाय है। मैकमिलन में जोखिम के लिए निर्धारित सीमाएँ और

ग्रीनवुड मामलों को रिश्ते की स्पष्ट रूप से आवश्यक घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह की सेवा की पेशकश करते हुए, एक ग्राहक को स्पष्ट रूप से अपने चेक निकालने के तरीके का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ही उसे पता चलता है कि एक जालसाज खाता चला रहा है, उसे स्पष्ट रूप से अपने बैंक को चेतावनी देनी चाहिए।

महत्वपूर्ण रूप से निर्णय में कहा गया है कि बैंक, जब यह करता है

जाली चेक में, यह ग्राहक प्रदीप कुमार और एक अन्य के दावे का विरोध नहीं कर सकता है।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

ग्राहक की ओर से लापरवाही के बचाव के साथ। बैंक ग्राहक की लापरवाही के अनुरोध पर सफल हो सकता है जब वह ग्राहक की ओर से गोद लेने, रोकने या सुधार स्थापित करता है। इस पहलू पर जब लापरवाही रोक का गठन करती है, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 29 ..... लापरवाही के लिए एक अवरोध का गठन करना आवश्यक है

यह किसी कर्तव्य के अस्तित्व को दर्शाता है जिसे जिस पक्ष के खिलाफ कथित रूप से बहिष्कार किया जाता है, वह दूसरे पक्ष का ऋणी है। बैंक को सूचित करना ग्राहक का एक प्रकार का कर्तव्य है।

अनियमितताएँ जब उसे पता चलती हैं। लेकिन केवल लापरवाही से कोई यह नहीं मान सकता कि ग्राहक द्वारा बैंक के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है। ग्राहक को अपने आचरण से जाली चेक पर पैसे के भुगतान की सुविधा नहीं देनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के अभाव में, केवल लापरवाही एक को नहीं रोकेगी

ग्राहक ने राशि की वसूली के लिए बैंक पर सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया।

ग्राहक की ओर से सहमति के सवाल पर, केनरा बैंक (उपरोक्त) का मानना हैः

" 30. वादी के खिलाफ सहमति का मामला भी नहीं चलाया जा सकता है। सहमति की याचिका को बनाए रखने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि जिस पक्ष के खिलाफ उक्त याचिका दायर की गई है,

उस मामले के बारे में चुप रहे जिसके बारे में याचिका

मामले की सच्चाई जानने के बाद भी सहमति जताई जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी को, प्रासंगिक अवधि के दौरान, जब इन 42 चेकों को भुनाया गया था, दूसरे प्रतिवादी के भयावह मंसूबों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि बैंक ने अदालत की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया था कि वादी ने पूरी जानकारी के साथ संबंधित खातों की शुद्धता को स्वीकार किया था अवधि, वादी के खिलाफ सहमति का मामला होगा

बैंक में उपलब्ध है। यहाँ ऐसा नहीं है "।

35. उपरोक्त कानूनी स्थिति के अलावा, हम पाते हैं कि एन. सी. डी. आर. सी. ने यह अभिनिर्धारित करने में कठोरता दिखाई थी कि अपीलार्थी चुप थे और इसलिए लापरवाही के दोषी थे। निष्कर्ष इस बात को नजरअंदाज करता है कि कोई भी किसी अजनबी या एजेंट की सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहेगा यदि काम, यानी,

के. वी. पी. प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण, अन्यथा आसानी से संभाला और किया जा सकता है। इसके अलावा, कोई भी किसी अजनबी से पैसे नहीं खोना चाहेगा। आवश्यक रूप से, हम स्वीकार करेंगे कि अपीलकर्ता रुखसाना के संपर्क में रहे थे, लेकिन यह धारणा दी गई थी कि अभ्यास जटिल है और [2022] 19 एस. सी. आर.

समय निकालें। इसके अलावा उन्हें विश्वास था कि डाकघर उनके हितों का ध्यान रखेगा, सद्भावना से कार्य करेगा और लापरवाही नहीं करेगा।

36. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है

कि भुगतान एन. आई. अधिनियम की धारा 10 के वैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करते हुए किया गया था और इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 82 के खंड (सी) के तहत कोई वैध निर्वहन नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रुखसाना एक 'धारक' नहीं होने के कारण, उसे भुगतान एन. आई. अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 78 के तहत एक वैध निर्वहन नहीं है। उत्तरदाताओं ने

दायित्व से बचा जाता और वैध निर्वहन का दावा किया जाता यदि उन्होंने पहचान पर्ची के साथ के. वी. पी. को स्वीकार किया होता या यदि उन्होंने किया होता

भुगतान

क्रॉस चेक द्वारा, जिस स्थिति में, उन्होंने शर्त को पूरा किया होगा कि उन्होंने सद्भावना से भुगतान किया था और कोई लापरवाही नहीं थी, एन. आई. की धारा 10 के साथ पठित धारा 82 के खंड (सी) की आवश्यकता

एक्ट करें।

37. अब, हम दूसरे अंक का विज्ञापन करते हैं कि क्या

प्रतिवादी एम. के. सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 की गलतियों और कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, या रुखसाना के कहने पर। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं कि एम. के. सिंह कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अधिकारी और एक

डाकघर का कर्मचारी। डाकघर, एक अमूर्त इकाई के रूप में, कार्य करता है

अपने कर्मचारियों के माध्यम से। कर्मचारी, व्यक्तियों के रूप में, बेईमान होने और धोखाधड़ी या खुद को गलत करने या दूसरों के साथ मिलीभगत करने में सक्षम होते हैं। 20 बैंक/डाकघर के कर्मचारियों के ऐसे कार्य, जब उनके रोजगार के दौरान किए जाते हैं, तो बैंक/डाकघर पर उस व्यक्ति के कहने पर बाध्यकारी होते हैं जो बैंक/डाकघर के अधिकारियों की धोखाधड़ी और गलत कृत्यों से दंडित होता है। बैंक/डाकघर कर्मचारियों के इस तरह के कार्य उनके रोजगार के दायरे में होने से अपीलार्थियों को चोट के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि यह डाकघर के खिलाफ उनका एकमात्र उपाय है। इस प्रकार, डाकघर, एक बैंक की तरह, धोखाधड़ी आदि के कारण हुए नुकसान के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और कर सकता है, लेकिन यह उन्हें उनके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा यदि इसमें शामिल कर्मचारी अपने रोजगार और कर्तव्यों के दौरान कार्य कर रहा था।

38. भारतीय स्टेट बैंक में यह न्यायालय (शाही के उत्तराधिकारी)

बैंक ऑफ इंडिया) v. श्रीमती. श्यामा देवी 1 ने अभिनिर्धारित किया कि नियोक्ता के लिए उत्तरदायी, यह पर्याप्त नहीं है कि नौकर या एजेंट को रोजगार दिया गया हो

19 जिस मामले में रुखसाना एन. आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत एक 'धारक' होगी और के. वी. पी. के उसके पक्ष में होने पर, प्रतिवादी एन. आई. अधिनियम की धारा 78 के तहत उसे भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकते थे।

20 पंजाब नेशनल बैंक बनाम देखें। श्रीमती. दुर्गा देवी और अन्य (1977) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 93 21 (1978) 3 एस. सी. सी. 399 प्रदीप कुमार और अन्य बनाम।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

अपराध करने का अवसर, लेकिन प्रासंगिक यह है कि क्या

धोखाधड़ी आदि के रूप में अपराध नौकर/कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया था। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, नियोक्ता कर्मचारी के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वे एक अपराध के बराबर हों। नौकरी के दौरान धोखाधड़ी की गई है या नहीं, यह तथ्य का सवाल होगा जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित करने की आवश्यकता है।

39. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में,

हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि धोखाधड़ी एम. के. सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपनी नौकरी के दौरान और उसके दौरान की गई थी। विभागीय कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट है,

जो इस प्रकार हैं:

" मैंने मामले के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और मामले के अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आरोपित अधिकारी श्री एम. के. सिंह पी. ओ. एस. बी. मैनुअल खंड-II के नियम 23 (1) का पालन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

निर्गम के कार्यालय के अलावा अन्य से खरीदे गए प्रमाणपत्रों को भुनाना। जाँच अधिकारी ने जाँच रिपोर्ट में भी सहमति व्यक्त की है। कि पी. ओ. एस. बी. नियमावली खंड 2 के नियम-23 (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। पूछताछ अधिकारी ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि निवेशक ने के. वी. पी. के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन एन. सी.-032 नहीं दिया है जैसा कि पी. ओ. एस. बी. मैनुअल खंड II के नियम 37 (1) और नियम 37 (5) और सी. सी. एस. (आचरण) नियम 1964 के नियम 3 (1) (ii) में दिया गया है।

आरोप-पत्र के अनुच्छेद-I में उल्लिखित है।

पूछताछ अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि निवेशक एक साक्षर व्यक्ति है और इस प्रकार केवीपी के भुगतान के समय निवेशक का समर्थन निवेशक की लिखावट में प्राप्त किया जाना चाहिए जैसा कि एसबी मैनुअल खंड-II के नियम 23 (2) में दिया गया है। अन्यथा यदि इसे संदेशवाहक (एनएस) के माध्यम से भुनाया गया था अभिकर्ता)/प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि भुगतान के समय के. वी. पी. पर समर्थन श्रीमती द्वारा किया गया था। रुखसाना एनएस एजेंट। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भुगतान की प्राप्ति के लिए पहले से ही हस्ताक्षरित अनुमोदन के आधार पर भुगतान किया गया था। अभियुक्त अधिकारी ने एस. बी. मैन के नियम 23 (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। खण्ड II। इस प्रकार यह एस. बी. मैनुअल खंड-II के नियम 23 (2) और सी. सी. एस. (आचरण) नियम 1964 के नियम 3 (1) (ii) के प्रावधानों के खिलाफ था जैसा कि आरोप पत्र के अनुच्छेद II में उल्लेख किया गया है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में संदेह किया है कि क्या

केवीपी का भुगतान निवेशक को किया गया था या नहीं। इस प्रकार यह हुआ

सीसीएस (आचरण) के नियम 3 (1) (i) और 3 (1) (iii) के प्रावधान के विरुद्ध

नियम 1974 जैसा कि आरोप ज्ञापन के अनुच्छेद-II में उल्लेख किया गया है।

40. उत्तरदाताओं की ओर से, यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त

अवलोकन सीमित हैं और केवल एक केवीपी तक सीमित हैं। हमारी राय में, यह तर्क उत्तरदाताओं की मदद नहीं करेगा क्योंकि यह हमारे लिए स्पष्ट है

कि उत्तरदाताओं को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि वे एम. के. सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, और साथ ही साथ अपीलकर्ताओं के किसी भी दायित्व और दावों से भी खुद को बचाना चाहते थे। इस दुविधा का सामना करते हुए, उत्तरदाताओं ने आधे-अधूरे मन से काम लिया और एम. के. सिंह के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में कार्रवाई की, जबकि वे अपनी सुरक्षा चाहते थे।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित, हमारी राय में, सभी केवीपी के भुनाने पर समान रूप से लागू होगा। विभागीय जांच का विषय बनने वाले मामले के बीच कोई वैध अंतर नहीं किया जा सकता है। और केवीपी के नकदीकरण के अन्य मामले। इसलिए, डाकघर/बैंक को अपने कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या गलतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तदनुसार, प्रत्यर्थियों को एम. के. सिंह के कार्य के दौरान उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

41. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं और

एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित विवादित आदेश को खारिज करते हुए

अपीलार्थियों द्वारा दायर उपभोक्ता मामला। रुखसाना के खिलाफ आदेश और निर्देश अबाधित हैं। हम निम्नलिखित निर्देश जारी करके उपभोक्ता मामले की अनुमति देंगेः

((i)

उत्तरदाता सं। 1 4 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा

उक्त तिथि से प्रति वर्ष 7 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ के. वी. पी. के परिपक्वता मूल्य का भुगतान करना, जिस तारीख को के. वी. पी. को नकदीकरण के लिए डाकघर में प्रस्तुत किया गया था।
भुगतान की तारीख तक।

((ख)

अपीलार्थी एक लाख रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे।

1,00,000 / - और रुपये की लागत। 10,000 / - .

ऊपर निर्देशित राशि का भुगतान आठ के भीतर किया जाएगा।

(iii)

इस निर्णय की घोषणा की तारीख से सप्ताह।

प्रदीप कुमार और अन्य के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में v.

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य [संजीव खन्ना, जे।]

उपरोक्त समय में,

उत्तरदाता अतिरिक्त रूप से इस निर्णय की घोषणा की तारीख से भुगतान की तारीख तक रुपये की क्षतिपूर्ति राशि पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

निधि जैन और अनुराग भास्कर (प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)